प्रेषक

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Annexure
Annexure - 1.1

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एम.एच. / ऑन कॉल / 84डी / 2024–25 / 2543 - 2 दिनांक 2 7.2024

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश के चिन्हित एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर सीजेरियन प्रसव हेतु नियमित / संविदा स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ या EmoC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑन–कॉल स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञों की व्यवस्था के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ऑन–कॉल व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **पत्र संख्या–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एम.एच. / ऑनकॉल / 84डी / 2023–24 / 1388–2 दिनांक 19.5.2023** के माध्यम से प्रेषित किये गये दिशा निर्देशों के (बिन्दु– **"जनपद की एफ0आर0यू0 के लिए ऑन–कॉल सुविधा"**, बिन्दु–4 में **"वित्तीय व्यवस्था"** एवं बिन्दु–5 में **"अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग"** में संशोधन सहित) पालन किया जाना है।

- उक्त दिशा–निर्देश में जनपद की एफ0आर0यू0 के लिए ऑन–कॉल सुविधा में संशोधन निम्नवत है –
  - *ऐसे जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों जहां पर केवल एक Gynecologist एवं केवल एक Anesthetist तैनात हैं, तो ऐसी स्थिति में रात्रि कालीन आकस्मिक सिजेरियन प्रसव (Emergency C-Section) हेतु ऑन–कॉल की व्यवस्था अनुमन्य होगी।*
  - *ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य इकाई छोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना है कि लाभार्थी के वाइटल स्टेबल हों तथा उस समय स्वास्थ्य इकाई पर उपस्थित चिकित्सक को फॉलो–अप हेतु लाभार्थी की स्थिति से अवगत करा दें। ऑन कॉल विशेषज्ञ के जाने के उपरांत प्रसूता के Post Operative Care का दायित्व स्वास्थ्य इकाई पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक का होगा। आवश्यकता पड़ने पर ऑन कॉल विशेषज्ञ को फॉलो–अप विजिट कर प्रसूता में होने वाली जटिलता का उपचार एवं प्रबन्धन हेतु बुलाया जाना है।*
- उक्त दिशा–निर्देश में बिंदु संख्या 4 में वित्तीय व्यवस्था में संशोधन निम्नवत है –
  - ऑन कॉल विशेषज्ञ हेतु honorarium, यात्रा भत्ता एवं 01 फॉलो–अप विजिट की वित्तीय व्यवस्था निम्न तालिकानुसार है–

S. N.	Type of Specialist	Honorarium during Day (8 AM to 8 PM) (in Rs)	Honorarium during Night (8 PM to 8 AM) (in Rs)	Travel allowance (in Rs)	01 Follow-up visit (in Rs)
1	Regular/ Contractual/ Private gynecologist	2000	4000	1000	1500
2	Regular/ Contractual/ Private Anesthetist	2000	4000	1000	Not applicable

Scanned with OKEN Scanner

➢ ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या प्रसूति व स्त्री रोग) द्वारा दिन (8 AM to 8 PM) में किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु honorarium रु0 2000/– प्रति केस एवं obstetric emergency हेतु रात (8 PM to 8 AM) में किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु honorarium रु0 4000/– प्रति केस की दर से अनुमन्य होगा।

❖ उक्त दिशा–निर्देश में बिंदु संख्या 5 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग में संशोधन निम्नवत है –

➢ ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) द्वारा किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु धनराशि का भुगतान, एफ0आर0यू0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा मंत्र एप्लीकेशन पर उपलब्ध डाटा के सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में होने वाले अनुमानित व्यय हेतु एफ0एम0आर0 संख्या 12.1 में कुल धनराशि रु0 141.03 लाख (रूपये एक करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार मात्र) जनपदों को निम्न फांट अनुसार सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आवंटित की जा रही है–

S.No.	District	Funds allocated to the district (in Rs.)
1	Agra	3,21,000
2	Aligarh	2,63,000
3	Ambedkar Nagar	1,67,000
4	Amethi	1,29,000
5	Amroha	1,30,000
6	Auraiya	97,000
7	Ayodhya	1,73,000
8	Azamgarh	3,20,000
9	Bagpat	92,000
10	Bahraich	2,42,000
11	Ballia	2,25,000
12	Balrampur	1,49,000
13	Banda	1,26,000
14	BaraBanki	2,27,000
15	Bareilly	3,19,000
16	Basti	1,70,000
17	Bhadohi	1,10,000
18	Bijnor	2,58,000
19	Budaun	2,20,000
20	Bulandshahar	2,48,000
21	Chandauli	1,36,000
22	Chitrakoot	69,000
23	Deoria	2,16,000
24	Etah	1,24,000
25	Etawah	1,12,000
26	Farrukhabad	1,33,000
27	Fatehpur	1,83,000
28	Firozabad	1,79,000
29	Gautam Buddha Nagar	1,22,000
30	Ghaziabad	2,54,000
31	Ghazipur	2,51,000
32	Gonda	2,38,000
33	Gorakhpur	3,12,000
34	Hamirpur	77,000
35	Hapur	95,000
36	Hardoi	2,86,000
37	Hathras	1,10,000
38	Jalaun	1,19,000

Scanned with OKEN Scanner

S.No.	District	Funds allocated to the district (in Rs.)
39	Jaunpur	3,11,000
40	Jhansi	1,45,000
41	Kannauj	1,16,000
42	Kanpur Dehat	1,25,000
43	Kanpur Nagar	3,41,000
44	Kasganj	1,01,000
45	Kaushambi	1,12,000
46	Kushinagar	2,46,000
47	Lakhimpur Kheri	2,80,000
48	Lalitpur	85,000
49	Lucknow	3,42,000
50	Maharajganj	1,85,000
51	Mahoba	62,000
52	Mainpuri	1,31,000
53	Mathura	1,81,000
54	Maunathbhanjan	1,56,000
55	Meerut	2,52,000
56	Mirzapur	1,74,000
57	Moradabad	2,23,000
58	Muzaffarnagar	1,98,000
59	Pilibhit	1,42,000
60	Pratapgarh	2,22,000
61	Prayagraj	4,22,000
62	Rae Bareli	2,02,000
63	Rampur	1,65,000
64	Saharanpur	2,47,000
65	Sambhal	1,57,000
66	Sant Kabir Nagar	1,19,000
67	Shahjahanpur	2,12,000
68	Shamli	97,000
69	Shrawasti	77,000
70	Siddharth Nagar	1,77,000
71	Sitapur	3,12,000
72	Sonbhadra	1,31,000
73	Sultanpur	1,68,000
74	Unnav	2,18,000
75	Varanasi	2,67,000
	Total	1,41,03,000

उपरोक्त के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मानकानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाये। जनपदों को आवंटित धनराशि के उपयोग मे किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवेल)
मिशन निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एम.एच. / ऑनकॉल / 84डी / 2024–25 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
10. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, को upnhm की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
12. वरिष्ठ परियोजना निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(डॉ0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबंधक, मातृ स्वा0

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एम.एच. / ऑनकॉल / 84डी / 2023-24 / दिनांक .2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के चिन्हित एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को ऑन-कॉल पर बुलाने की व्यवस्था एवं भुगतान सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित / संविदा स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ या EmoC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑन-कॉल स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के साथ-साथ किसी अन्य क्रियाशील एफ0आर0यू0 जहां पर विशेषज्ञ की अनुपस्थिति / अनुपलब्धता होने पर सिजेरियन कराये जाने के लिये स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था राजकीय (नियमित / संविदा) व निजी क्षेत्र में कार्यरत स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ के लिये अनुमन्य है। EmoC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी को ऑन-कॉल पर बुलाना अनुमन्य नहीं है।

जनपद में राजकीय नियमित / संविदा सेवा के स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ को केवल एफ0आर0यू0 पर ही तैनात किया जाना है। इस हेतु स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात विशेषज्ञों की सूची बनाकर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें एफ0आर0यू0 पर ही समायोजित कर एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराया जाना है। ऑन-कॉल सेवा प्रदान करने में रुचि दिखाने वाले नियमित एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत स्त्री व प्रसूति रोग / निश्चेतक विशेषज्ञों (EmoC एवं LSAS को छोड़कर) की सूची उनके मोबाइल नम्बर के साथ बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में ऑन-कॉल विशेषज्ञ के रूप में अधिकृत कर लिया जाये। इस सूची को प्रत्येक एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध कराते हुए एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ (राजकीय एवं निजी चिकित्सक) हेतु ऑन-कॉल व्यवस्था जनपद के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सन्दर्भन चिकित्सा इकाइयों पर लागू है।

जनपद की एफ0आर0यू0 इकाइयों के लिये ऑन कॉल सुविधा निम्नवत है-

a) जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय पर सिजेरियन प्रसव का भार अत्यधिक होने के कारण मात्र ऑन-कॉल व्यवस्था से कार्य कराना सम्भव नहीं होगा। अतः जनपद में प्राथमिकता के आधार पर जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय पर राजकीय नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञों की व्यवस्था पूर्ण की जाये। जिला चिकित्सालयों पर कोई भी स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों से नियमित विशेषज्ञों को जनपद स्तरीय इकाई पर तैनात / संबद्ध किया जाना है। किन्तु जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में निर्बाध सिजेरियन प्रसव हेतु आवश्यकतानुसार ऑन-कॉल व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।

b) एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 पर राजकीय नियमित / संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण टीम अपूर्ण होने की स्थिति में यह व्यवस्था की जानी है।

c) जिन एफ0आर0यू0 पर ई-मॉक टीम में कार्यरत एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात है एवं उनमें से किसी एक के आकस्मिक अवकाश अथवा लम्बी छुट्टी (उपार्जित/मातृत्व/शिशु देखभाल/चिकित्सकीय अवकाश/बिना सूचना के गैर हाजिर) पर जाने के कारण टीम अधूरी हो के सम्बन्ध में जनपद स्तर को अवगत कराते हुए ऑन-कॉल सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

d) ऑन-कॉल सुविधा वाले समस्त एफ0आर0यू0 द्वारा सिजेरियन का विवरण (ऑन-कॉल विशेषज्ञ का नाम, मोबाइल नम्बर, विशेषज्ञता, तैनाती का स्थान, सिजेरियन प्रसव की तिथि, महिला का नाम आदि) संलग्न प्रारूप पर अंकित किया जाना है।

e) उक्त Monthly line-list सूचना प्रत्येक माह एफ0आर0यू0 द्वारा जनपद मुख्यालय को प्रेषित की जानी है। यह monthly line-list की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण की ई मेल mchjsy2022@gmail.com एवं एस0पी0एम0यू0 की ई- मेल gmmhup2019@gmail.com पर प्रेषित किया जाना है। (संलग्नक-01)

f) ऑन-कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य इकाई छोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना है कि लाभार्थी के वाइटल स्टेबल हो तथा उस समय स्वास्थ्य इकाई पर उपस्थित चिकित्सक को फॉलो अप हेतु लाभार्थी की स्थिति से अवगत करा दें।

g) एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा सिजेरियन प्रसव के पश्चात डिस्चार्ज तक प्रसूता का फॉलो अप भलीभांति किया जाना है।

h) ऑन-कॉल पर आने वाले स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन प्रसव के उपरान्त 01 फॉलो अप विजिट कर प्रसूता की आवश्यक जांच किया जाना अनिवार्य है।

i) यदि किसी इकाई पर 01 विजिट में ऑन-कॉल विशेषज्ञ एक से अधिक सिजेरियन प्रसव कराते है, तो उन्हें प्रति सिजेरियन धनराशि देय होगी परन्तु यात्रा भत्ता एक ही देय होगा।

j) किसी भी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।

1. **राजकीय नियमित सेवा क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन-कॉल पर बुलाने की व्यवस्था-** राजकीय नियमित सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को निम्नानुसार ऑन-कॉल पर कार्य करना अनुमन्य है-
   - मण्डल/जनपद स्तर एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सकीय/प्रशासनिक पदों (अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, एस0आई0सी0/सी0एम0एस0, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, संयुक्त निदेशक, आदि) पर तैनात विशेषज्ञों को संबंधित विधा के विशेषज्ञ की अनुपलब्धता पर एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन-कॉल पर बुलाया जा सकता है।
   - ग्रामीण क्षेत्र में तैनात स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक विशेषज्ञ को किसी अन्य ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0/PPC पर ऑन-कॉल अनुमन्य है। ऑन-कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सिजेरियन प्रसव करा रहे हों।
   - विशेष परिस्थितियों में बिन्दु संख्या 1c) में वर्णित की स्तिथि मे जिला स्तरीय चिकित्सालय पर तैनात विशेषज्ञों को ग्रामीण एफ0आर0यू0 इकाइयों तथा ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर तैनात विशेषज्ञों को जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन-कॉल पर बुलाया जा सकता है।
2. **निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन-कॉल पर बुलाने की व्यवस्था-** जनपद पर चिन्हित एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) को सिजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था निम्नानुसार है-

Scanned with OKEN Scanner

- इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनपद की समस्त राजकीय एफ0आर0यू0 स्वास्थ्य इकाईयों में ऑन–कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त कर उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इम्पैनल करा लिया जाये। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दी जाये।
- ऑनकॉल चिकित्सकों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान ससमय किया जाये।

3. **स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञों की ऑन–कॉल पर उपलब्धता न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0, जनरल सर्जरी) को ऑन–कॉल पर बुलाये जाने की व्यवस्था–** जनपद में नियमित अथवा संविदा स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0–जनरल सर्जरी) जो भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सीजेरियन प्रसव में प्रशिक्षित हों, को सूचीबद्ध कर उनकी सेवाए ली जा सकती हैं।
4. वित्तीय व्यवस्था–

- ऑन–कॉल का उपयोग केवल सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा। 01 सीजेरियन प्रसव के लिये 01 ही विशेषज्ञ (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) की ऑन–कॉल अनुमन्य होगी, जिससे नियमित/EmOC टीम के पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन केस की प्रसवोपरान्त देखभाल की जा सके।
- ऑन कॉल विशेषज्ञ हेतु honorarium, यात्रा भत्ता एवं 01 फॉलो–अप विजिट की वित्तीय व्यवस्था निम्न तालिकानुसार है–

S.n.	Sector	Type of Specialist	Honorarium (in Rs)	Traval allowance (in Rs)	01 Follow-up visit (in Rs)
1	Government sector	Regular gynaecologist	2000	1000	1500
2		Regular anaesthetist	2000	1000	Not applicable
3		Contractual gynaecologist	2000	1000	1500
4		Contractual anaesthetist	2000	1000	Not applicable
5	Private sector	Private gynaecologist	2000	1000	1500
6		Private anaesthetist	2000	1000	Not applicable

- ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) हेतु honorarium रू0 2000/– प्रति केस की दर से अनुमन्य होगा। इस हेतु **एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.1** के अन्तर्गत **रू0 74.82 लाख** की धनराशि आवंटित की जा रही हैं।
- ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) को ग्रामीण इकाईयों पर कॉल पर बुलाने हेतु यात्रा भत्ता रू0 1000/– की दर से अनुमन्य होगा। इस हेतु **एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.2** के अन्तर्गत **रू0 27.83 लाख** की धनराशि आवंटित की जा रही हैं।
- ऑन–कॉल स्त्री रोग विशेषज्ञों को 01 follow-up visit हेतु भुगतान रू0 1500/– (रू0 1000/– यात्रा भत्ता + रू0 500/–per visit) की दर से अनुमन्य होगा। इस हेतु **एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.3** के अन्तर्गत **रू0 27.83 लाख** धनराशि सलग्न फाट के अनुसार आवंटित की जा रही हैं।
- इस प्रकार **एफ0एम0आर0 संख्या RCH.1.12** में कुल धनराशि रू0 130.48 लाख जनपदों को निम्न फाट अनुसार आवंटित की जा रही है–

Scanned with OKEN Scanner

S.no	District	FRUs	No. of LSCS by govt/pvt. Gynae & Anaesth. by on call visits	FAMS code- RCH.1.12.OOC.1 Budget for LSCS by govt/pvt Gynae & Anaesth. by on-call @Rs.2000/- per LSCS (in Rs)	FAMS code- RCH.1.12.OOC.2 Budget for TA to govt/pvt. Gynae & Anaesth by on-call @Rs.1000/- per LSCS (in Rs)	FAMS code RCH.1.12.OOC.3 Budget for Post-Op Follow-up visit by on-Call Gynae @Rs 1500/- for 01 Follow-up visit (in Rs)	Total budget allocation to districts for on-call visits (in Rs)
1	Agra	6	70	1,40,000	52,000	52,500	2,44,500
2	Aligarh	8	3	6,000	2,000	1,500	9,500
3	Ambedkar Nagar	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
4	Amethi	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
5	Auraiya	3	3	6,000	2,000	1,500	9,500
6	Azamgarh	9	3	6,000	2,000	1,500	9,500
7	Baghpat	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
8	Bahraich	8	3	6,000	2,000	1,500	9,500
9	Ballia	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
10	Balrampur	5	195	3,90,000	1,46,000	1,47,000	6,83,000
11	Banda	5	16	32,000	12,000	12,000	56,000
12	Barabanki	8	3	6,000	2,000	1,500	9,500
13	Bareilly	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
14	Basti	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
15	Bijnor	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
16	Budaun	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
17	Bulandshahar	8	33	66,000	24,000	25,500	1,15,500
18	Chandauli	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
19	Chitrakoot	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
20	Deoria	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
21	Etah	3	3	6,000	2,000	1,500	9,500
22	Etawah	5	98	1,96,000	73,000	73,500	3,42,500
23	Faizabad (Ayodhya)	6	10	20,000	7,000	7,500	34,500
24	Farukkhabad	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
25	Fatehpur	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
26	Firozabad	5	98	1,96,000	73,000	73,500	3,42,500
27	GB Nagar	5	30	60,000	22,000	22,500	1,04,500
28	Ghaziabad	4	130	2,60,000	97,000	97,500	4,54,500
29	Ghazipur	7	3	6,000	2,000	1,500	9,500
30	Gonda	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
31	Gorakhpur	8	3	6,000	2,000	1,500	9,500
32	Hamirpur	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
33	Hapur	3	3	6,000	2,000	1,500	9,500
34	Hardoi	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
35	Hathras	4	170	3,40,000	1,27,000	1,27,500	5,94,500
36	Jalaun	5	40	80,000	30,000	30,000	1,40,000
37	Jaunpur	6	195	3,90,000	1,46,000	1,47,000	6,83,000
38	Jhansi	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
39	JP Nagar	5	117	2,34,000	87,000	88,500	4,09,500
40	Kannauj	3	3	6,000	2,000	1,500	9,500
41	Kanpur Dehat	6	20	40,000	15,000	15,000	70,000
42	Kanpur Nagar	11	20	40,000	15,000	15,000	70,000
43	Kasganj	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
44	Kaushambi	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
45	Kheri	7	3	6,000	2,000	1,500	9,500
46	Kushi Nagar	7	65	1,30,000	48,000	49,500	2,27,500
47	Lalitpur	4	267	5,34,000	2,00,000	2,01,000	9,35,000
48	Lucknow	24	390	7,80,000	2,92,000	2,92,500	13,64,500
49	Maharajganj	5	55	1,10,000	41,000	42,000	1,92,000
50	Mahoba	3	3	6,000	2,000	1,500	9,500
51	Mainpuri	6	260	5,20,000	1,95,000	1,95,000	9,10,000
52	Mathura	6	163	3,26,000	1,22,000	1,23,000	5,71,000
53	Mau	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
54	Meerut	4	20	40,000	15,000	15,000	70,000
55	Mirzapur	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
56	Moradabad	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
57	Muzaffarnagar	4	163	3,26,000	1,22,000	1,23,000	5,71,000
58	Pilibhit	5	325	6,50,000	2,43,000	2,44,500	11,37,500
59	Pratapgarh	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
60	Prayagraj	10	260	5,20,000	1,95,000	1,95,000	9,10,000
61	Raebareli	6	33	66,000	24,000	25,500	1,15,500
62	Rampur	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
63	Saharanpur	5	3	6,000	2,000	1,500	9,500
64	Sambhal	4	130	2,60,000	97,000	97,500	4,54,500
65	Sant Kabir Nagar	5	130	2,60,000	97,000	97,500	4,54,500

Scanned with OKEN Scanner

S.no	District	FRUs	No. of LSCS by govt/pvt Gynae & Anaesth. by on call visits	FAMS code-RCH.1.12.OOC.1 Budget for LSCS by govt/pvt Gynae & Anaesth. by on-call @Rs 2000/- per LSCS (in Rs)	FAMS code-RCH.1.12.OOC.2 Budget for TA to govt/pvt. Gynae & Anaesth by on-call @Rs 1000/- per LSCS (in Rs)	FAMS code RCH.1.12.OOC.3 Budget for Post-Op Follow-up visit by on-Call Gynae @Rs 1500/- for 01 Follow-up visit (in Rs)	Total budget allocation to districts for on-call visits (in Rs)
66	Sant Ravidas Nagar	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
67	Shahjahanpur	5	39	78,000	29,000	30,000	1,37,000
68	Shamali	3	10	20,000	7,000	7,500	34,500
69	Shravasti	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
70	Siddharth Nagar	6	50	1,00,000	37,000	37,500	1,74,500
71	Sitapur	7	3	6,000	2,000	1,500	9,500
72	Sonbhadra	4	3	6,000	2,000	1,500	9,500
73	Sultanpur	6	3	6,000	2,000	1,500	9,500
74	Unnao	7	3	6,000	2,000	1,500	9,500
75	Varanasi	9	10	20,000	7,000	7,500	34,500
	Total	421	3,741	74,82,000	27,83,000	27,82,500	1,30,47,500

5. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जनपद स्तर पर इस योजना के कियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति उत्तरदायी होगी। इस हेतु जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत "विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाने की व्यवस्था" योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचायें।
- प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपनी चिकित्सा इकाई पर आने वाले ऑन–कॉल विशेषज्ञों की सूची प्रसव कक्ष में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में उपस्थित चिकित्साधिकारी/स्टॉफ नर्स द्वारा सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार बुलाया जा सके।
- ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) द्वारा किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु धनराशि का भुगतान, एफ0आर0यू0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी के सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा।
- एफ0आर0यू0 के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऑन–कॉल विशेषज्ञों का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जायेगा एवं उक्त की नियमित रूप से से समीक्षा भी की जायेगी।
- जनपद स्तर पर ऑन–कॉल विशेषज्ञों को किये गये भुगतान का माहवार अनुश्रवण किया जायेगा। इस हेतु अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0, डी0एम0एच0सी0, डी0पी0एम0 उत्तरदायी होंगे।
- जनपद द्वारा प्रत्येक माह ऑन–कॉल विशेषज्ञों को किये गये भुगतान की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र पर अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायी जायेगी। नियमित रूप से राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण की ई– मेल mchjsy2022@gmail.com एवं एस0पी0एम0यू0 की ई– मेल gmmhup2019@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी। (संलग्नक–02)
- ऑन–कॉल हेतु धनराशि मासिक आधार पर देना सुनिश्चित किया जाए, इस धनराशि का भुगतान एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा कराये गये सिजेरियन प्रसवों का सत्यापन करने के पश्चात ही किया जाये।
- विशेषज्ञों के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।

Scanned with OKEN Scanner

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑन-कॉल हेतु आवंटित धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि के व्यय उपरान्त ही जनपदों द्वारा अतिरिक्त धनराशि हेतु माँग पत्र राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि का आवंटन जनपद के Financial management report की समीक्षा उपरान्त ही किया जायेगा।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेट्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जायेगा।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक।

पत्रसंख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एम.एच./ऑनकॉल/84डी/2023-24/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन, लखनऊ
2. महानिदेशक-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक-परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. वित्त नियंत्रक/समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
10. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0, एन0एच0एम0 को upnhm की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. विधिक परामर्शदाता, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
12. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
13. समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला परामर्शदाता मातृ स्वा0-एन0एच0एम0, उ0प्र0।
15. गार्ड फाईल।

(डॉ0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Scanned with OKEN Scanner

(संलग्नक—01)

Monthly Line list report for On Call Specialists at FRUs -FY 2023-24

Month of reporting-

S.n	District	Name of FRUs	Name of on-call Specialist	Contact no. of on-call specialist	Type of Specialist (Gynaecologist=1 or Anaesthetist=2)	If Govt employee (Regular=1 , Contractual=2) or Private=3	Place of posting of on-call Specialist (if govt employee)	Date of LSCS performed	Name of women on which LSCS performed	Date of 01 post-op follow-up visit, if on-call specialist is Gynaecologists	Remark
1											
2											
4											
5											
6											

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - 1.2

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0वाई0 / 8–9 / 2024–25 / 1675–2 दिनांक 04.06.2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु जनपदों को धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0वाई0 / 8–9 / 2023–24 / 1444–2 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्र संख्या–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0वाई0 / 8–9 / 2023–24 / 9688–15 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु उक्त दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्न तालिकानुसार गतिविधिवार तथा संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही हैः–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 / फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित धनराशि
1	ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू0 1400 की दर से 90% धनराशि आवंटित	3.1	25,00,000	315,00,00,000
2	शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू0 1000 की दर से	3.2	3,00,000	30,00,00,000
3	बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु भुगतान रू0 500 की दर से	3.3	615	3,07,500
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू0 600 की दर से	3.4	23,80,000	142,80,00,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	3.5	4%	19,51,32,300
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि			**507,34,39,800**

आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने व सहयोग प्रदान किये जाने के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्रावधान हैः–

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 600 / –की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू0–300 / – प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0–300 / – प्रति लाभार्थी)।
- शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 400 / –की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू0–200 / – प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0–200 / – प्रति लाभार्थी)।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल रू0 507,34,39,800 / – (रू0 पॉच सौ सात करोड़ चौंतीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ मात्र) की संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। जनपदों द्वारा की गयी मांग एवं आवश्यकतानुसार शेष धनराशि जनपदों की नौ माह की प्रगति एवं जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूर्ण भुगतान किया जाए एवं "प्रपत्र 18" पर जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के बाद 05 कार्यदिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अतः धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मानकानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाय।

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें, आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल)

मिशन निदेशक

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0वाई0 / 8–9 / 2024–25 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3 महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5 निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8 समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9 वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10 समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
11 महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12 समस्त वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
13 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14 समस्त जिला कार्यकम प्रबंधक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
15 विधि परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
16 गार्ड फाईल।

(डा0 रवि प्रकाश दीक्षित)

महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य

Annexure-I

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2024-25

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2024-25					
						3.3	3.1	3.2	3.4	3.5	Total JSY
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	Home deliveries	Rural deliveries	Urban deliveries	Incentives to ASHA	Administrative Expenses 4%	
1	Agra	12	42,000	14,000	47,600	6,000	52,920,000	14,000,000	28,560,000	3,819,440	99,305,440
2	Aligarh	12	45,000	14,000	50,150	6,000	56,700,000	14,000,000	30,090,000	4,031,840	104,827,840
3	Ambedkar Nagar	7	25,000	1,000	22,100	3,500	31,500,000	1,000,000	13,260,000	1,830,540	47,594,040
4	Amethi	7	30,000	1,000	26,350	3,500	37,800,000	1,000,000	15,810,000	2,184,540	56,798,040
5	Auraiya	7	21,000	1,000	18,700	3,500	26,460,000	1,000,000	11,220,000	1,547,340	40,230,840
6	Azamgarh	12	45,000	14,000	50,150	6,000	56,700,000	14,000,000	30,090,000	4,031,840	104,827,840
7	Baghpat	7	15,000	2,000	14,450	3,500	18,900,000	2,000,000	8,670,000	1,182,940	30,756,440
8	Bahraich	7	76,000	2,000	66,300	3,500	95,760,000	2,000,000	39,780,000	5,501,740	143,045,240
9	Ballia	7	41,000	1,000	35,700	3,500	51,660,000	1,000,000	21,420,000	2,963,340	77,046,840
10	Balrampur	7	41,000	1,000	35,700	3,500	51,660,000	1,000,000	21,420,000	2,963,340	77,046,840
11	Banda	7	39,000	3,000	35,700	3,500	49,140,000	3,000,000	21,420,000	2,942,540	76,506,040
12	Barabanki	7	49,000	2,000	43,350	3,500	61,740,000	2,000,000	26,010,000	3,590,140	93,343,640
13	Bareilly	12	38,000	5,000	36,550	6,000	47,880,000	5,000,000	21,930,000	2,992,640	77,808,640
14	Basti	12	34,000	2,000	30,600	6,000	42,840,000	2,000,000	18,360,000	2,528,240	65,734,240
15	Bijnor	7	23,000	2,000	21,250	3,500	28,980,000	2,000,000	12,750,000	1,749,340	45,482,840
16	Budaun	7	56,000	4,000	51,000	3,500	70,560,000	4,000,000	30,600,000	4,206,540	109,370,040
17	Bulandshahar	7	35,000	6,000	34,850	3,500	44,100,000	6,000,000	20,910,000	2,840,540	73,854,040
18	Chandauli	7	31,000	1,000	27,200	3,500	39,060,000	1,000,000	16,320,000	2,255,340	58,638,840
19	Chitrakoot	12	24,000	1,000	21,250	6,000	30,240,000	1,000,000	12,750,000	1,759,840	45,755,840
20	Deoria	7	42,000	1,000	36,550	3,500	52,920,000	1,000,000	21,930,000	3,034,140	78,887,640
21	Etah	7	24,000	1,000	21,250	3,500	30,240,000	1,000,000	12,750,000	1,759,740	45,753,240
22	Etawah	7	26,000	4,000	25,500	3,500	32,760,000	4,000,000	15,300,000	2,082,540	54,146,040
23	Faizabad (AYODHYA)	12	29,000	5,000	28,900	6,000	36,540,000	5,000,000	17,340,000	2,355,440	61,241,440
24	Farukkhabad	7	26,000	2,000	23,800	3,500	32,760,000	2,000,000	14,280,000	1,961,740	51,005,240
25	Fatehpur	7	39,000	3,000	35,700	3,500	49,140,000	3,000,000	21,420,000	2,942,540	76,506,040
26	Firozabad	7	28,000	8,000	30,600	3,500	35,280,000	8,000,000	18,360,000	2,465,740	64,109,240
27	Gautam Buddha Nagar	7	17,000	8,000	21,250	3,500	21,420,000	8,000,000	12,750,000	1,686,940	43,860,440
28	Ghaziabad	7	10,000	12,000	18,700	3,500	12,600,000	12,000,000	11,220,000	1,432,940	37,256,440
29	Ghazipur	7	47,000	1,000	40,800	3,500	59,220,000	1,000,000	24,480,000	3,388,140	88,091,640
30	Gonda	12	47,000	2,000	41,650	6,000	59,220,000	2,000,000	24,990,000	3,448,640	89,664,640
31	Gorakhpur	12	49,000	6,000	46,750	6,000	61,740,000	6,000,000	28,050,000	3,831,840	99,627,840

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2024-25

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2024-25					
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	3.3 Home deliveries	3.1 Rural deliveries	3.2 Urban deliveries	3.4 Incentives to ASHA	3.5 Administrative Expenses 4%	Total JSY
32	Hamirpur	7	22,000	2,000	20,400	3,500	27,720,000	2,000,000	12,240,000	1,678,540	43,642,040
33	Hapur	7	12,000	2,000	11,900	3,500	15,120,000	2,000,000	7,140,000	970,540	25,234,040
34	Hardoi	7	58,000	2,000	51,000	3,500	73,080,000	2,000,000	30,600,000	4,227,340	109,910,840
35	Hathras	7	24,000	2,000	22,100	3,500	30,240,000	2,000,000	13,260,000	1,820,140	47,323,640
36	Jalaun	7	21,000	4,000	21,250	3,500	26,460,000	4,000,000	12,750,000	1,728,540	44,942,040
37	Jaunpur	7	44,000	2,000	39,100	3,500	55,440,000	2,000,000	23,460,000	3,236,140	84,139,640
38	**Jhansi**	12	21,000	6,000	22,950	6,000	26,460,000	6,000,000	13,770,000	1,849,440	48,085,440
39	NAGAR Amroha	7	16,000	2,000	15,300	3,500	20,160,000	2,000,000	9,180,000	1,253,740	32,597,240
40	Kannauj	7	27,000	2,000	24,650	3,500	34,020,000	2,000,000	14,790,000	2,032,540	52,846,040
41	Kanpur Dehat	7	24,000	2,000	22,100	3,500	30,240,000	2,000,000	13,260,000	1,820,140	47,323,640
42	**Kanpur Nagar**	12	27,000	14,000	34,850	6,000	34,020,000	14,000,000	20,910,000	2,757,440	71,693,440
43	Kasganj	7	24,000	2,000	22,100	3,500	30,240,000	2,000,000	13,260,000	1,820,140	47,323,640
44	Kaushambi	7	33,000	2,000	29,750	3,500	41,580,000	2,000,000	17,850,000	2,457,340	63,890,840
45	Kheri (Lakhimpur Kheri)	7	64,000	3,000	56,950	3,500	80,640,000	3,000,000	34,170,000	4,712,540	122,526,040
46	Kushi Nagar	7	48,000	2,000	42,500	3,500	60,480,000	2,000,000	25,500,000	3,519,340	91,502,840
47	Lalitpur	7	26,000	2,000	23,800	3,500	32,760,000	2,000,000	14,280,000	1,961,740	51,005,240
48	**Lucknow**	12	24,000	33,000	48,450	6,000	30,240,000	33,000,000	29,070,000	3,692,640	96,008,640
49	Maharajganj	7	38,000	1,000	33,150	3,500	47,880,000	1,000,000	19,890,000	2,750,940	71,524,440
50	Mahoba	7	17,000	3,000	17,000	3,500	21,420,000	3,000,000	10,200,000	1,384,940	36,008,440
51	Mainpuri	7	25,000	2,000	22,950	3,500	31,500,000	2,000,000	13,770,000	1,890,940	49,164,440
52	Mathura	7	28,000	3,000	26,350	3,500	35,280,000	3,000,000	15,810,000	2,163,740	56,257,240
53	MAU	7	28,000	1,000	24,650	3,500	35,280,000	1,000,000	14,790,000	2,042,940	53,116,440
54	**Meerut**	12	20,000	9,000	24,650	6,000	25,200,000	9,000,000	14,790,000	1,959,840	50,955,840
55	**Mirzapur**	12	43,000	2,000	38,250	6,000	54,180,000	2,000,000	22,950,000	3,165,440	82,301,440
56	**Moradabad**	12	17,000	4,000	17,850	6,000	21,420,000	4,000,000	10,710,000	1,445,440	37,581,440
57	Muzaffar Nagar	7	30,000	4,000	28,900	3,500	37,800,000	4,000,000	17,340,000	2,365,740	61,509,240
58	Pilibhit	7	26,000	1,000	22,950	3,500	32,760,000	1,000,000	13,770,000	1,901,340	49,434,840
59	Pratapgarh	7	39,000	2,000	34,850	3,500	49,140,000	2,000,000	20,910,000	2,882,140	74,935,640
60	**PRAYAGRAJ Allahabad**	12	67,000	4,000	60,350	6,000	84,420,000	4,000,000	36,210,000	4,985,440	129,621,440
61	Raebareli	7	43,000	2,000	38,250	3,500	54,180,000	2,000,000	22,950,000	3,165,340	82,298,840
62	Rampur	7	19,000	2,000	17,850	3,500	23,940,000	2,000,000	10,710,000	1,466,140	38,119,640

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2024-25

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2024-25					
						3.3	3.1	3.2	3.4	3.5	Total JSY
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	Home deliveries	Rural deliveries	Urban deliveries	Incentives to ASHA	Administrative Expenses 4%	
63	Saharanpur	12	32,000	5,000	31,450	6,000	40,320,000	5,000,000	18,870,000	2,567,840	66,763,840
64	Sambhal	7	30,000	2,000	27,200	3,500	37,800,000	2,000,000	16,320,000	2,244,940	58,368,440
65	Sant Kabir Nagar	7	28,000	1,000	24,650	3,500	35,280,000	1,000,000	14,790,000	2,042,940	53,116,440
66	Sant Ravidas Nagar	7	18,000	2,000	17,000	3,500	22,680,000	2,000,000	10,200,000	1,395,340	36,278,840
67	Shahjahanpur	7	41,000	4,000	38,250	3,500	51,660,000	4,000,000	22,950,000	3,144,540	81,758,040
68	Shamali	7	19,000	3,000	18,700	3,500	23,940,000	3,000,000	11,220,000	1,526,540	39,690,040
69	Shravasti	7	35,000	1,000	30,600	3,500	44,100,000	1,000,000	18,360,000	2,538,540	66,002,040
70	Siddharth Nagar	7	36,000	1,000	31,450	3,500	45,360,000	1,000,000	18,870,000	2,609,340	67,842,840
71	Sitapur	7	80,000	4,000	71,400	3,500	100,800,000	4,000,000	42,840,000	5,905,740	153,549,240
72	Sonbhadra	7	34,000	1,000	29,750	3,500	42,840,000	1,000,000	17,850,000	2,467,740	64,161,240
73	Sultanpur	7	35,000	1,000	30,600	3,500	44,100,000	1,000,000	18,360,000	2,538,540	66,002,040
74	Unnao	7	33,000	6,000	33,150	3,500	41,580,000	6,000,000	19,890,000	2,698,940	70,172,440
75	Varanasi	12	30,000	15,000	38,250	6,000	37,800,000	15,000,000	22,950,000	3,030,240	78,786,240
	Total District	615	2,500,000	300,000	2,380,000	307,500	3,150,000,000	300,000,000	1,428,000,000	195,132,300	5,073,439,800

(प्रभाकर तिवारी)
परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य

3

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

1444-2

पत्रांक–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–9/2023–24/ दिनांक 22.05.2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" शासनादेश सं0–जी0आई0 176/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113)/2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0–3667/5–9–08–9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन संचालित की जा रही हैं।

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 की स्वीकृतियों के अनुसार "जननी सुरक्षा योजना" वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जननी सुरक्षा योजना हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आंवटित की जा रही है–

क्र0 सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फीम्स कोड	वित्तीय आगणन हेतु भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (रू0 में)
1	ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400 की दर से	RCH.1.3.DBT.1	25,01,000	262,60,50,000
2	शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000 की दर से	RCH.1.3.DBT.2	2,89,000	21,67,50,000
3	बी0पी0एल0 घरेलू प्रसव रू0 500 की दर से	RCH.1.3.DBT.3	615	3,07,000
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू0 600 की दर से	RCH.1.3.ASHA	23,74,800	106,86,60,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	RCH.1.3.ODC	4%	15,64,70,680
	कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			**406,82,37,680**

कार्यक्रम कियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनः–

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको आर0सी0एच0 पोर्टल में परिवर्तित कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका आर0सी0एच0 पोर्टलपर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओ का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाना है।

2. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधानः–

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–657/पाँच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–6/13–14/934–75 दिनांक–30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना" एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है एवं इसका लाभ राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, अन्य जिला

स्तरीय चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर लागू है। वित्तीय वर्ष 2023-24 मे कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत है-

- ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400/-प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.1
- शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000/-प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.2
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/-प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है (एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.3)

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- 176 /5-9-07-9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पॉच में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली सभी आयु वर्गकी गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवाप्रदाता (ए.एन.एम/एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिस्टर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू0- 500/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गयी है, जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक-373/पॉच-9-2014-9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 600/-की दर से ग्रामीण प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0-300/- प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0-300/- प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.ASHA
- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 400/-की दर से शहरी प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0-200/- प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0-200/- प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.ASHA

3. **जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत (प्रशासनिक मद हेतु)**-जनपद स्तर पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत आवंटित की गयी है, जनपदों में जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्रसव भार के अनुसार आंवटित धनराशि का 4 प्रतिशत (प्रशासनिक मद हेतु) का आंवटन भी सुनिश्चित किया जाये है। इस धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जाना हैएफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.OOC
   - ए0एन0सी0, लेबर रूम एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी रजिस्टरों का मुद्रण
   - मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री।
   - जे0एस0वाई0 वार्ड एवं लेबर रूम हेतु रख रखाव, साफ सफाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था।
   - जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ड रिपोर्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था।

4. मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय मे संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था–

आयुष्मान भारत योजना के अर्न्तगत चिन्हित मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में Health benefit package में पात्र लाभार्थियों हेतु जटिल प्रसवों एवं सिजेरियन प्रसवों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान –

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन मे प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02.15 के द्वारा सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा आधार लिन्कड बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान आर0सी0एच0 पोर्टल डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में अंकित किये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार डी0बी0टी0 योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए0एन0एम0 द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। *समस्त जे0एस0वाई0 भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जायेंगे।*

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।धनराशि की जानकारी "जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र" के माध्यम से दे दी जाये, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। सभी इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये। जे0एस0वाई0 फार्म का प्रारूप समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी आवश्यक कर दें।

राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–9/2021–22/2611–2 दिनांक 13.08.2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार–

- गर्भवती महिलाओं के बैंक खाता के पूर्ण विवरण सहित आर0सी0एच0 पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। बैंक खाता का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड एवं आर0सी0एच0 रजिस्टर पर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीकरण उपरान्तजिन लाभार्थियों के पास बैंक खातासंख्या उपलब्ध नही है,आशाओं के माध्यम से उनके खाते खुलवाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये। प्रत्येक दशा में प्रसव पूर्व समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवा लिये जायें, ताकि प्रसव उपरान्त जे0एस0वाई भुगतान में कोई विलम्ब न हो ।
- दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0वाई के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान 48 घण्टे के अंदर किया जाना आवश्यक है एवं भुगतान विलम्बित होने पर जनपद स्तर से साप्ताहिक समीक्षा की जाये तथा भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायें।

6. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त रिपोर्ट एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जायेंगी। समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं राज्य अधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टता निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि समस्त आंकड़ों को दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मासिक समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ों / सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

समस्त राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों पर हुये संस्थागत प्रसवों की सूचना प्रति दिन "मंत्र" पोर्टल पर किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट "प्रपत्र 18" पर प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 05 दिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जननी सुरक्षा योजना की जनपदों से उपलब्ध करायी गयी त्रैमासिक भौतिक प्रगति "**प्रपत्र 18**"के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में जननी सुरक्षा योजना हेतुस्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आंवटित की गयी है। जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिष्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (**Limit**) जारी की जाये।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल रू0 406,82,37,680 / –(रू0 चार सौ छः करोड बयासी लाख सैंतिस हजार छः सौ अस्सी मात्र) की धनराशि (जनपदवार फांट संलग्न)के अनुसार आंवटित की गयी है, शेष 25 प्रतिशत जनपदों को नौ माह की प्रगति की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। यह धनराशि जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के आंकलन के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। धनराशि का आवंटन केवल व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये।

उक्त कार्यक्रम में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही नियमानुसार व्यय किया जाये। उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाये।

व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिट, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2023-24

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2023-24					
						RCH.1.3.D	RCH.1.3.DBT.1	RCH.1.3.DBT.	RCH.1.3.ASHA	RCH.1.3.OOC	Total JSY Budget for year 2023-24 for the districts
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	Home deliveries @Rs.500	Rural deliveries @ Rs.1,400	Urban deliveries @ Rs. 1,000	Incentives to Rural ASHA @ Rs.600	Administrative Expenses 4%	
1	**Agra**	12	45,000	13,000	49,300	6,000	47,250,000	9,750,000	22,185,000	3,167,640	82,358,640
2	**Aligarh**	12	46,000	13,900	51,000	6,000	48,300,000	10,425,000	22,950,000	3,267,240	84,948,240
3	Ambedkar Nagar	7	23,000	1,000	20,400	3,500	24,150,000	750,000	9,180,000	1,363,340	35,446,840
4	Amethi	7	29,000	500	25,100	3,500	30,450,000	375,000	11,295,000	1,684,940	43,808,440
5	Auraiya	7	20,000	1,500	18,300	3,500	21,000,000	1,125,000	8,235,000	1,214,540	31,578,040
6	**Azamgarh**	12	38,000	1,600	33,700	6,000	39,900,000	1,200,000	15,165,000	2,250,840	58,521,840
7	Baghpat	7	15,000	2,600	15,000	3,500	15,750,000	1,950,000	6,750,000	978,140	25,431,640
8	**Bahraich**	7	79,000	2,700	69,400	3,500	82,950,000	2,025,000	31,230,000	4,648,340	120,856,840
9	Ballia	7	36,000	800	31,300	3,500	37,800,000	600,000	14,085,000	2,099,540	54,588,040
10	**Balrampur**	7	39,000	1,200	34,200	3,500	40,950,000	900,000	15,390,000	2,289,740	59,533,240
11	Banda	7	36,000	3,200	33,400	3,500	37,800,000	2,400,000	15,030,000	2,209,340	57,442,840
12	Barabanki	7	47,000	2,100	41,800	3,500	49,350,000	1,575,000	18,810,000	2,789,540	72,528,040
13	**Bareilly**	12	36,000	5,800	35,600	6,000	37,800,000	4,350,000	16,020,000	2,327,040	60,503,040
14	**Basti**	12	30,000	2,500	27,700	6,000	31,500,000	1,875,000	12,465,000	1,833,840	47,679,840
15	Bijnor	7	23,000	2,200	21,500	3,500	24,150,000	1,650,000	9,675,000	1,419,140	36,897,640
16	Budaun	7	56,000	4,600	51,500	3,500	58,800,000	3,450,000	23,175,000	3,417,140	88,845,640
17	Bulandshahar	7	34,000	6,300	34,300	3,500	35,700,000	4,725,000	15,435,000	2,234,540	58,098,040
18	**Chandauli**	7	30,000	1,100	26,500	3,500	31,500,000	825,000	11,925,000	1,770,140	46,023,640
19	**Chitrakoot**	12	23,000	1,200	20,600	6,000	24,150,000	900,000	9,270,000	1,373,040	35,699,040
20	Deoria	7	41,000	1,400	36,100	3,500	43,050,000	1,050,000	16,245,000	2,413,940	62,762,440
21	Etah	7	23,000	1,400	20,800	3,500	24,150,000	1,050,000	9,360,000	1,382,540	35,946,040
22	Etawah	7	26,000	4,500	26,000	3,500	27,300,000	3,375,000	11,700,000	1,695,140	44,073,640
23	**Faizabad (AYODHYA)**	11	29,000	3,700	27,800	5,500	30,450,000	2,775,000	12,510,000	1,829,620	47,570,120
24	Farukkhabad	7	25,000	2,500	23,400	3,500	26,250,000	1,875,000	10,530,000	1,546,340	40,204,840
25	**Fatehpur**	7	36,000	2,800	33,000	3,500	37,800,000	2,100,000	14,850,000	2,190,140	56,943,640
26	Firozabad	7	29,000	8,300	31,800	3,500	30,450,000	6,225,000	14,310,000	2,039,540	53,028,040
27	**Gautam Buddha Nagar**	7	14,000	5,600	16,700	3,500	14,700,000	4,200,000	7,515,000	1,056,740	27,475,240
28	Ghaziabad	7	10,000	12,400	19,100	3,500	10,500,000	9,300,000	8,595,000	1,135,940	29,534,440
29	**Ghazipur**	7	44,000	1,000	38,300	3,500	46,200,000	750,000	17,235,000	2,567,540	66,756,040
30	**Gonda**	12	51,000	2,100	45,200	6,000	53,550,000	1,575,000	20,340,000	3,018,840	78,489,840

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2023-24

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2023-24					
						RCH.1.3.D	RCH.1.3.DBT.1	RCH.1.3.DBT.	RCH.1.3.ASHA	RCH.1.3.OOC	Total JSY Budget for year 2023-24 for the districts
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	Home deliveries @Rs.500	Rural deliveries @ Rs.1,400	Urban deliveries @ Rs. 1,000	Incentives to Rural ASHA @ Rs.600	Administrative Expenses 4%	
31	**Gorakhpur**	12	49,000	6,100	46,900	6,000	51,450,000	4,575,000	21,105,000	3,085,440	80,221,440
32	Hamirpur	7	21,000	2,700	20,200	3,500	22,050,000	2,025,000	9,090,000	1,326,740	34,495,240
33	Hapur	7	12,000	1,200	11,300	3,500	12,600,000	900,000	5,085,000	743,540	19,332,040
34	Hardoi	7	63,000	2,900	56,100	3,500	66,150,000	2,175,000	25,245,000	3,742,940	97,316,440
35	Hathras	7	24,000	2,400	22,500	3,500	25,200,000	1,800,000	10,125,000	1,485,140	38,613,640
36	Jalaun	7	20,000	3,800	20,300	3,500	21,000,000	2,850,000	9,135,000	1,319,540	34,308,040
37	Jaunpur	7	44,000	2,400	39,500	3,500	46,200,000	1,800,000	17,775,000	2,631,140	68,409,640
38	**Jhansi**	12	21,000	6,300	23,300	6,000	22,050,000	4,725,000	10,485,000	1,490,640	38,756,640
39	NAGAR,Amroha	7	16,000	2,300	15,600	3,500	16,800,000	1,725,000	7,020,000	1,021,940	26,570,440
40	Kannauj	7	26,000	1,900	23,800	3,500	27,300,000	1,425,000	10,710,000	1,577,540	41,016,040
41	Kanpur Dehat	7	24,000	1,400	21,600	3,500	25,200,000	1,050,000	9,720,000	1,438,940	37,412,440
42	**Kanpur Nagar**	12	27,000	13,900	34,800	6,000	28,350,000	10,425,000	15,660,000	2,177,640	56,618,640
43	Kasganj	7	24,000	1,300	21,600	3,500	25,200,000	975,000	9,720,000	1,435,940	37,334,440
44	Kaushambi	7	32,000	800	27,900	3,500	33,600,000	600,000	12,555,000	1,870,340	48,628,840
45	Kheri (Lakhimpur Kheri)	7	67,000	1,600	58,300	3,500	70,350,000	1,200,000	26,235,000	3,911,540	101,700,040
46	Kushi Nagar	7	50,000	900	43,300	3,500	52,500,000	675,000	19,485,000	2,906,540	75,570,040
47	Lalitpur	7	26,000	1,900	23,800	3,500	27,300,000	1,425,000	10,710,000	1,577,540	41,016,040
48	**Lucknow**	12	24,000	32,000	47,600	6,000	25,200,000	24,000,000	21,420,000	2,825,040	73,451,040
49	Maharajganj	7	37,000	800	32,200	3,500	38,850,000	600,000	14,490,000	2,157,740	56,101,240
50	Mahoba	7	16,000	3,200	16,400	3,500	16,800,000	2,400,000	7,380,000	1,063,340	27,646,840
51	Mainpuri	7	24,000	2,500	22,600	3,500	25,200,000	1,875,000	10,170,000	1,489,940	38,738,440
52	Mathura	7	26,000	3,400	25,000	3,500	27,300,000	2,550,000	11,250,000	1,644,140	42,747,640
53	MAU	7	24,000	600	21,000	3,500	25,200,000	450,000	9,450,000	1,404,140	36,507,640
54	**Meerut**	12	20,000	9,900	25,500	6,000	21,000,000	7,425,000	11,475,000	1,596,240	41,502,240
55	**Mirzapur**	12	43,000	2,400	38,600	6,000	45,150,000	1,800,000	17,370,000	2,573,040	66,899,040
56	**Moradabad**	12	16,000	3,500	16,600	6,000	16,800,000	2,625,000	7,470,000	1,076,040	27,977,040
57	Muzaffar Nagar	7	27,000	4,600	26,900	3,500	28,350,000	3,450,000	12,105,000	1,756,340	45,664,840
58	Pilibhit	7	24,000	1,600	21,800	3,500	25,200,000	1,200,000	9,810,000	1,448,540	37,662,040
59	Pratapgarh	7	37,000	2,000	33,200	3,500	38,850,000	1,500,000	14,940,000	2,211,740	57,505,240
60	**PRAYAGRAJ Allahabad**	12	69,000	3,700	61,700	6,000	72,450,000	2,775,000	27,765,000	4,119,840	107,115,840

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2023-24

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2023-24					
						RCH.1.3.D	RCH.1.3.DBT.1	RCH.1.3.DBT.	RCH.1.3.ASHA	RCH.1.3.OOC	Total JSY Budget for year 2023-24 for the districts
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	Home deliveries @Rs.500	Rural deliveries @ Rs.1,400	Urban deliveries @ Rs. 1,000	Incentives to Rural ASHA @ Rs.600	Administrative Expenses 4%	
61	Raebareli	7	43,000	1,900	38,200	3,500	45,150,000	1,425,000	17,190,000	2,550,740	66,319,240
62	Rampur	7	22,000	2,300	20,700	3,500	23,100,000	1,725,000	9,315,000	1,365,740	35,509,240
63	**Saharanpur**	12	31,000	5,000	30,600	6,000	32,550,000	3,750,000	13,770,000	2,003,040	52,079,040
64	Sambhal	7	28,000	2,200	25,700	3,500	29,400,000	1,650,000	11,565,000	1,704,740	44,323,240
65	Sant Kabir Nagar	7	28,000	1,100	24,800	3,500	29,400,000	825,000	11,160,000	1,655,540	43,044,040
66	Sant Ravidas Nagar	7	63,000	9,400	61,600	3,500	66,150,000	7,050,000	27,720,000	4,036,940	104,960,440
67	Shahjahanpur	7	39,000	4,900	37,400	3,500	40,950,000	3,675,000	16,830,000	2,458,340	63,916,840
68	Shamali	7	19,000	4,100	19,700	3,500	19,950,000	3,075,000	8,865,000	1,275,740	33,169,240
69	**Shravasti**	7	32,000	700	27,800	3,500	33,600,000	525,000	12,510,000	1,865,540	48,504,040
70	**Siddharth Nagar**	7	35,000	1,100	30,700	3,500	36,750,000	825,000	13,815,000	2,055,740	53,449,240
71	Sitapur	7	85,000	4,200	75,800	3,500	89,250,000	3,150,000	34,110,000	5,060,540	131,574,040
72	**Sonbhadra**	7	32,000	500	27,700	3,500	33,600,000	375,000	12,465,000	1,857,740	48,301,240
73	Sultanpur	7	34,000	900	29,700	3,500	35,700,000	675,000	13,365,000	1,989,740	51,733,240
74	Unnao	7	32,000	6,700	32,900	3,500	33,600,000	5,025,000	14,805,000	2,137,340	55,570,840
75	**Varanasi**	12	32,000	6,500	32,800	6,000	33,600,000	4,875,000	14,760,000	2,129,640	55,370,640
	Total District	**614**	**2,501,000**	**289,000**	**2,374,800**	**307,000**	**2,626,050,000**	**216,750,000**	**1,068,660,000**	**156,470,680**	**4,068,237,680**

Annexure-1.3

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0एस0के0 / 93–5 /2024–25/ 2080-2 दिनांक 11/07/06.2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के संचालन हेतु आवंटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृस्वा0 / जे0एस0एस0के0 / 93–5 / 2023–24 / 1438–2 दिनांक 22.05.2023 एवं 4525–2 दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु निःशुल्क औषधि–कन्ज्यूमेबिल्स एवं निःशुल्क जांचों हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे परन्तु वित्तीय वर्ष 2023–24 के निःशुल्क भोजन मद के दिशा–निर्देश (प्रस्तर–3) में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों में निम्नवत् संशोधनों सहित निम्न तालिकानुसार गतिविधिवार तथा संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है:–

क्रम स0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 / फॅक्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित धनराशि
	निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स			
1	चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से 20% आवंटित धनराशि	4.1	25,05,000	20,04,00,000
2	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्सरू0 400/–की दर से	4.2	1,45,000	5,80,00,000
3	जनपद स्तरीय एल 3 चिकित्सा इकाई में सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्सरू0 1,800 की दर से 20% आवंटित धनराशि	4.3	1,00,000	3,60,00,000
4	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्सरू0 1,800/–की दर से	4.4	50,000	9,00,00,000
	निःशुल्क जांचे			
5	गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉचे रू0 200/–की दर से 20% आवंटित धनराशि	4.5	50,00,000	20,00,00,000
6	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु ई रूपी वाउचर के माध्यम से अल्ट्रासाउण्ड की जॉच की व्यवस्था रू0 300/– की दर से	4.6	30,00,000 अल्ट्रासाउण्ड हेतु	90,00,00,000
7	छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र में गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जॉचे रू0 40/–की दर से ए0 पी0 डी0	4.7	28,40,928 वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र	11,36,37,120
	निःशुल्क भोजन			
8	निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव–दो दिन एवं सिजेरियन प्रसव–पॉच दिन –रू0 150/– की दर से जनपद के एल 2 एवं 3 चिकित्सा इकाई में	4.8	18,65,000 सामान्य प्रसव एवं 1,00,000 सिजेरियन प्रसव	63,45,00,000
9	निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव–दो दिन एवं सिजेरियन प्रसव–पॉच दिन रू0 150/– की दर से मेडिकल कॉलेजो के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	4.11	1,45,000 सामान्य प्रसव एवं 50,000 सिजेरियन प्रसव	8,10,00,000
10	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु सूक्ष्म जल–पान राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सी0एच0सी0रू0–2,000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से एवं पी0एच0सी0 को रू0–1,000/– प्रति पी0एम0एस0 एम0ए0 दिवस की दर से 10 माह हेतु	4.9	2071 पी0एम0एस0एम0ए0 फैसिलिटी	7,95,80,000
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि			239,31,17,120

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उपरोक्त तालिकानुसार बिन्दु संख्या–02 एवं 04 में वर्णित धनराशि का आवंटन 33 मेडिकल कॉलेजों (राजकीय मेडिकल कॉलेज–आगरा, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, बदायूं, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, मेरठ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थ नगर एवं के0जी0एम0यू0, आर0एम0एल0आई0एम0एस0 लखनऊ, ए0एम0यू0,

अलीगढ़ तथा बी0एच0यू0. वाराणसी) को सामान्य प्रसव हेतु रू0 400/- की दर से एवं सिजेरियन प्रसव हेतु रू0 1,800/- की दर से शतप्रतिशत धनराशि प्रसव हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स मद में सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज को अवमुक्त की जायेगी।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के निःशुल्क भोजन मद में आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों में कतिपय संशोधन किये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. प्रत्येक जनपद की समस्त 24x7 स्वास्थ्य इकाईयों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हेतु समस्त जनपद स्तरीय/ब्लाक स्तरीय/शहरी स्वास्थ्य इकाइयों (एल 2 एवं एल 3 प्रसव इकाईयों) में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष **निःशुल्क भोजन हेतु रू0 150/- प्रति लाभार्थी प्रति दिन की दर से (सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन)**। *नोट-यदि गर्भवती महिला प्रसव से पूर्व या प्रसवोंपरान्त उपरोक्त दिवसों से ज्यादा दिन प्रसव कारणों से स्वास्थ्य इकाई पर भर्ती है, तो भी उसे जे0एस0एस0के0 डाईट के मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।*
2. पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं के सूक्ष्म जलपान के लिए 10 माह हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। इस हेतु रू0-2,000/-प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से, **राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों** एवं रू0-1,000/- प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों** हेतु।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हेतु कुल रू0 239,31,17,120/-(रू0 दो सौ उन्तालीस करोड़ इक्कतीस लाख सतरह हजार एक सौ बीस मात्र) की संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।

साथ ही व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अतः धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मानकानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाये।

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें, आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93-5 /2024-25/ तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
11. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक,जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(डा0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1438-2

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5 /2023–24/ दिनांक : 22.05.2023

विषय–वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के संचालन हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2011 से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यकम का मुख्य उद्देश्य समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय देखभाल व प्रसव सम्बन्धी सेवायें पूर्णतया निःशुल्क प्रदान करना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पॉच निःशुल्क सेवाएं–निःशुल्क, परिवहन सुविधा, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स) निःशुल्क जाँचे, एवं निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि मे ही होती हैं। हमारी पूरी कार्यनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं हेतु इस अति संवेदनशील अवधि (प्रथम 48 घंटे) में चिकित्सकों की देख–रेख में होनी चाहिए। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है। सभी निःशुल्क सेवाओं के साथ चिकित्सालय का वातावरण भी सहयोगात्मक होना आवश्यक है, जिससे प्रसूताओं को चिकित्सालय परिसर में ससम्मान रहने का अवसर प्राप्त हो।

1. निःशुल्क जॉच की व्यवस्थाः–
   - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जॉच की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 67.06 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु रैपिड टेस्टिंग किट्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स आदि की व्यवस्था की जानी है, परन्तु जनपदों में अतिआवश्यक जांचों हेतु उपयोग होने वाले रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु 20 प्रतिशत धनराशि जनपदों को जनपदवार फांट के अनुसार आंवटित की जा रही है। जनपदों द्वारा इस धनराशि का उपयोग रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स, कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु इकाई पर सुविधा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इकाई में रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये जनपद स्तर से यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा मे ही कय किया जाये।
   - पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आने वाली 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर रू0 300/– की दर से अल्ट्रासाउण्ड जॉच की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- छाया वी0एच0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच किट ले जाने की व्यवस्था हेतु 2426424 छाया वी0एच0एन0डी0 सत्रों में रू0 40/– प्रति सत्र की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु ई रूपी वाउचर के माध्यम से अल्ट्रासाउण्ड की जॉच की व्यवस्था रू0 300/– की दर से	RCH.1.4.DI.2	1,50,000 अल्ट्रासाउण्ड हेतु	4,50,00,000
2	2426424 छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र में गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जॉचें रू0 40/–की दर से ए. वी. डी.	RCH.1.4.DI.3	2426424 वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र	9,70,56,960
3	गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉचें रू0 200/–की दर (15 प्रतिशत धनराशि)	RCH.1.4.DI.1	50,00,000 ए0एन0सी0	15,00,00,000
	कुल योग			29,20,56,960

- निःशुल्क जॉच हेतु सामान्य निर्देशः–

प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर की जॉच, एक बार ब्लड ग्रुपिंग/Rh Typing, जी0डी0एम0 (गर्भजनित मधुमेह), एच0आई0वी0 एवं सिफिलस की जॉचें भी की जायेगी। छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0पर होने वाली गर्भवती महिलाओं की जांचों में यदि उपरोक्त सभी जांचें नही हो पा रही हैं तो प्रत्येक माह 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रसव के दौरान एवं प्रसव के पश्चात् भर्ती के दौरान सभी आवश्यक जॉचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही ब्लाक व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जॉचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रत्येक माह की 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जॉचों की व्यवस्था एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की जॉच की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जॉचें निम्नवत हैं–

- पी0एच0सी0 एवं उपकेन्द्र (L-1) तथा छाया वी0एच0एस0एन0डी0 (आउटरीच)/यू0एच0एन0डी0 स्तर पर–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), एच0आई0वी एवं सिफिलस की निःशुल्क जॉच।
- ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 (L-2) जहाँ लैब टक्नीशियन/लैब असिस्टेंण्ट की नियुक्ति है वहाँ–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), ब्लडग्रुप/Rh Typing, जी0डी0एम0, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, एच0आई0वी एव सिफिलस की निःशुल्क जॉच की सुविधा।
- जनपद स्तरीय व सभी L-3 स्तर की चिकित्सा इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जॉच, ब्लडग्रुप/Rh Typing, OGTT, HbsAg, VDRL, HIV, T3/T4/TSH एव सेमीऑटो एनालाइजर के माध्यम से की जाने वाली अन्य जांचें।
- T3,T4,TSH तथा अन्य आवश्यक जॉचों हेतु सेवाओं की अनुपलब्धता की दशा में जनपदों के जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियमानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध डायग्नोस्टिक सर्विसेंज का लाभ भी लिया जा सकता है।
- छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओ हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच हेतु छाया वी0एच0एन0डी0 सत्र पर किट (ए0वी0डी0) ले जाने की व्यवस्था है।
- प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती

महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर USG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ गर्भवती महिलाओं को पुरूष चिकित्सालय में USG की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध USG मशीनों को प्रयोग में लाने हेतु आवश्यक व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाये। पी0पी0पी0 मोड पर 75 जनपदों को पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं हेतु अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जानी है।

- पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था के लिये सी0जी0एच0एस0, लखनऊ के निर्धारित मानकों के अनुरूप एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड तथा नॉन–एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के लिये रू0 300/– प्रति केस की दर निर्धारित की गयी है। चिन्हित सभी स्वास्थ्य केन्द्र के समीप क्रियाशील रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के प्रबन्धकों से सहमति प्राप्त कर उपर्युक्त निर्धारित दरों पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भुगतान की व्यवस्थाः–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अल्ट्रासाउण्ड का भुगतान ई रूपी वाउचर के माध्यम से किया जाएगा एवं ई रूपी वाउचर की वैधता एक माह होगी। प्रमुख सचिव के स्तर से निर्गत पत्र संख्या **एस0पी0एम0यू0/मातृ0स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5/टी0सी0–2/2023–24/8361–2 दिनांक– 07.02.2023 एवं एस0पी0एम0यू0/मातृ0स्वा0/पी0एम0एस0एम0ए0/134/2023–24/359–2 दिनांक–17.04.2023** के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

2. निःशुल्क उपचार व्यवस्थाः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 67.06 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासनादेश संख्या–23/2017/1981/पाँच–1–2016–5 (36)/2017 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 के अनुसार औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाना है परन्तु राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27 मई 2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार औषधियो हेतु स्वीकृत धनराशि की 80 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन को निर्गत की जायेगी तथा 20 प्रतिशत धनराशि जनपदों द्वारा स्थानीय क्रय किये जाने हेतु आवंटित की जायेगी।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 के संचालन हेतु प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरान्त दी जाने वाली औषधि की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में चिकित्सा इकाई में प्रसव के दौरान उपयोग में आने वाली अति आवश्यक औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स हेतु स्वीकृत धनराशि में से 15 प्रतिशत धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से अधिकांश औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति की जा रही है। अतः जनपदों को आवंटित की गयी धनराशि से जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की सूची के अनुसार अति आवश्यक औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स, क्रय किये जाने हैं, जो उस अवधि में यू0पी0एम0सी0एल0 द्वारा सप्लाई न किये जा रहे हों। इस सम्बन्ध में इकाई में औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करने उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सीमित मात्रा में ही कय किया जाये। किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0एस0डी0) एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की व्यवस्था:–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 26 राजकीय मेडिकल कॉलेज को (आगरा, बस्ती, बहराइच, एटा, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, अयोध्या, झासी, प्रयागराज, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, मेरठ,

आजमगढ, वाराणसी, अलीगढ, गोरखपुर, सहारनपुर, जालौन, गौतमबुद्धनगर, बदायू, बादा, अम्बेडकरनगर, सिदार्थ नगर ,के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ) को प्रसव हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स के लिये धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

समस्त प्रसव इकाई हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स हेतु निम्नवत व्यवस्था की गयी है-

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमबिल्स रू0 400/- की दर से (15 प्रतिशत धनराशि)	RCH.1.4.DS.5	26,05,000	15,63,00,000
2	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/-की दर से	RCH.1.4.DS.5	55,000	2,20,00,000
	कुल योग		**26,60,000**	**17,83,00,000**

नोट- इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था के उपरान्त मेडिकल कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि मेडिकल कॉलेज में होने वाले प्रसव (सामान्य अथवा जटिल) के लिये लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि का व्यय नही किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज द्वारा अपने यहा प्रसव के लिये होने वाले व्यय (ड्रग्स, कन्ज्यूमेबिल्स) को उपरोक्त धनराशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ए0एन0सी0 ड्रग्स यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा आपूर्ति करायी जा रही है। अतः जनपदो में संचालित मेडिकल कॉलेजो में भी यू0पी0एम0एस0सी0एल0 माध्यम से निःशुल्क ए0एन0सी0 ड्रग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- निःशुल्क उपचार हेतु सामान्य दिशा-निर्देशः-

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं तथा प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इस प्रकार गर्भावस्था मे 180 गोलियां एवं **प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ गर्भवती महिला को दी जानी है, जो छुट्टी के समय एवं बच्चें के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी।** एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी एवं प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इसी प्रकार एनीमिक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में 360 गोलिया एवं प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ दी जानी है। प्रदेष में 50 प्रतिशत एनीमिक गर्भवती महिलाओं के दृष्टिगत समस्त गर्भवती महिलाओं के लिये 450 आई0एफ0ए0 गोली प्रति महिला आवश्यक होंगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में गम्भीर एनीमिया में आयरन सुक्रोज भी दिया जाना है।

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में कैल्शियम की 02 गोली (1-1 गोली सुबह शाम) दिया जाना है। **प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 02 गोली कैल्शियम (1-1 गोली सुबह शाम) खाने के तुरन्त बाद दी जानी हैं, जो छुट्टी के समय एवं बच्चें के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी।** इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती को **कैल्शियम** की **720 गोली** दी जानी है।

ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स प्रत्येक गर्भवती को द्वितीय त्रैमास में एलबेन्डाजॉल की 01 गोली छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 सत्र अथवा पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में अपने सामने खिलाना सुनिश्चित करेगी।

प्रथम त्रैमास में प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 400 माइक्रो ग्रा0 फोलिक एसिड की 1 गोली दी जानी है।

नोट- किसी भी प्रसूता से बाहर से औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स अथवा कोई अन्य सामग्री नही मगवायी जानी है।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में **01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये।** उचित होगा कि प्रविष्टी के समय आर0सी0एच0 एवं ई-कवच पोर्टल से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

3. निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः– FMR

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद की समस्त 24X7 स्वास्थ्य इकाईयां (एल 2 एवं एल 3 प्रसव इकाईयां) पर निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु जनपदो से प्राप्त एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 23,55,000 (22,35,000 सामान्य प्रसव व 1,20,000सिजेरियन प्रसव) लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। सभी जनपद / ब्लाक स्तरीय / शहरी स्वास्थ्य इकाइयों (एल–2 एवं एल–3 प्रसव इकाईयों) में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क भोजन हेतु रू0 100 / –प्रति दिन की अधिकतम दर स्वीकृत है। गर्भवती महिला को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य प्रसव में 03 दिवस व सिजेरियन प्रसव में 07 भर्ती दिवसों हेतु अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु गत वर्षों के व्यय की प्रगति के अनुसार बजट आवंटन के उद्देश्य से सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सिजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन कर जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है।

नोट–यदि गर्भवती महिला प्रसव से पूर्व या प्रसवोंपरान्त उपरोक्त दिवसों से ज्यादा दिन प्रसव कारणों से स्वास्थ्य इकाई पर भर्ती है, तो भी उसे जे0एस0एस0के0 डाईट के मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव–दो दिन एव सिजेरियन प्रसव–पॉच दिन	RCH.1.4.OOC.1	23,55,000 लाभार्थी	38,02,50,000
2	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु सूक्ष्म जल–पान	RCH.1.4.OOC.2	1649 पीएमएसएमए फेसलिटी	5,40,96,000
	कुल योग			43,43,46,000

- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु मेडिकल कॉलेज, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित होने वाले पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक हेतु रू0 2,000 / –प्रति इकाई दर से।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु सी0एच0सी0 एवं अन्य स्वास्थ्य इकाई, जहॉं पर पी0एम0एस0एम0ए0 का आयोजन किया जाता है, वहॉं रू0 1,500 / – प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की दर से।
- निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु पति लाभार्थी रू0 100 / –प्रति दिन की अधिकतम दर भारत सरकार से स्वीकृत है, अतः उक्त सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकती है, जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा।

नाश्ता	दोपहर भोजन–लन्च	रात्रि का भोजन–डिनर
प्रातः 07 बजे से 8:30 बजे	दोपहर 01 बजे से 02 बजे	साय 07 बजे से 8:30 बजे
अनुमानित दर रु0 20–30	अनुमानित दर रु0 35–40	अनुमानित दर रु0 35–40
एक ग्लास दूध (200 ml)के साथ 02 अण्डे / दलिया / पोहा / ब्रेड (4 स्लाइस) व 10 ग्राम मक्खन।	4 रोटी ,दाल ,मौसमी सब्जी, चावल एवं सलाद / दही।	4 रोटी , मौसमी सब्जी, चावल एवं मौसमी फल (सेब, सन्तरा केला आदि) / एक गिलास दूध।

- जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्णय ले, जिससे कि प्रसूता को ससमय गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके:–

1. निविदा प्रकियाके माध्यम से (Outsourcing Basis-Per Meal Based/Monthly Contract Based)।
2. उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा।

3. जिन जिला चिकित्सालयों में प्रेरणा कैन्टीन के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था संचालित हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए।

जनपद उक्त विकल्पों में से सम–सामयिक स्थिति व गुण दोषों के आधार पर किसी एक विकल्प का चयन कर, जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निःशुल्क भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक–एस.पी.एम.यू./जे.एस.एस.के./93वॉ0–4/2015–16/2556–2 दिनांक 16.07.2015 के अनुसार भोजन की गुणवत्ता बने रहने हेतु रू0 90/– या अधिक के दर अनुबन्ध ही किया जाये।

- जिन जनपदों में उपरोक्त दिये गये विकल्पों के अनुसार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अन्तिम विकल्प के रूप में स्थायी व्यवस्था न होने तक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को दोनों समय आधे लीटर दूध की एक–एक थैली, फल अथवा अण्डे, अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम पैकेड् मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।

  नोट–प्रत्येक स्थिति में प्रसूता को मानकानुसार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करायी जाये।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को पूर्व से प्रचलित प्रारूप पर जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर व्यवस्थित करना अनिवार्य है। यह डाइट **रजिस्टर भर्ती प्रसूताओं की वास्तविक संख्या व उनके द्वारा प्राप्त किये गये भोजन के आधार पर ही प्रभारी नर्स द्वारा भरा जायेगा, जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन सत्यापित किया जाना है।** रजिस्टर के रख रखाव का उत्तरदायित्व प्रभारी वार्ड नर्स का होगा और इकाई के प्रभारी इसको प्रतिदिन अवलोकित करेंगे। राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो रजिस्टर का अवलोकन अवश्य किया जाना है।।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस में यदि कोई गर्भवती महिला किसी कारणवश चिकित्सालय में उस दिन भर्ती होती है, भोजन की व्यवस्था जे0एस0एस0के0 डाइट के बजट से किया जाना है।

4. निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा

उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी शिशु सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह (पात्र)होंगी।

रक्त की कमी से किसी भी गर्भवती/प्रसूता की मृत्यु होना अत्यन्त खेदजनक है। कृपया इस सम्बन्ध में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को निर्देशित करें कि किसी भी गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये और परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान की बाध्यता न रखी जाये।**

5. निःशुल्क परिवहन सुविधाः–

प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित "102"एम्बुलेन्स से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं को घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सन्दर्भन की सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रसूतायें समय से पूर्व ही जल्दी घर चली जाती हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे को विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि **चिकित्सा इकाइयों से 102 की ड्रॉप–बैक सुविधा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।**

6. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्थाः–

- ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित कर प्रचारित दिया जाये। ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
- गर्भवती महिलाओं से सम्बन्धित ग्रीवान्स रिड्रेसल हेतु 104 एवं सुमन पोर्टल का उपयोग किया जाए।
- प्रत्येक प्रसव इकाई पर रक्षित शिकायत पेटिका को निर्धारित दिवस पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाये।

- योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार

यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाडी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।
- समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाडी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सतत रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अन्त वैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाये।पर्यवेक्षकों द्वारा लाभार्थियों का 48 घण्टे रूकना, डाईट रजिस्टर का रख रखाव, प्रसव के दौरान कोई शुल्क न लिया जाना आदि पर विशेष रूप से लाभार्थियो से संवाद स्थापित किया जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व कार्यक्रम पर्यवेक्षक आवश्यक औषधियों व जॉचों की उपलब्धता, नियमित रूप से क्रयादेशों के निर्गत किये जाने, ससमय फर्मों के भुगतान आदि बिन्दुओं पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

रिपोर्टिंगः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय भौतिक प्रगति हेतु मैनुअल रिपार्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है।

जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमकी ब्लांकवार समीक्षा के उपरांत प्रत्येक माह की जिला स्तरीय भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में नवीन एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड सुनिशित की जाए ।

वित्तीय सूचनाओं का आधार केवल पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया भुगतान होगा। किसी भी रिपोर्ट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये बिना उसे भुगतान के रूप में प्रदर्शित न किया जाये। सभी भौतिक प्रगति के आंकड़ों का आर0सी0एच0 पोर्टल से मिलान आवश्यक है।

क्रय एवं वित्तीय व्यवस्था–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक औषधियों, जांच, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें तथा इस सम्बन्ध में इकाई में औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, रीएजेन्ट, किट एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करते हुये यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करने उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये। किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0एस0डी0) एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- प्रसव पूर्व देखभाल हेतु सभी आवश्यक औषधियॉं, जॉंचें, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक माह औषधियों की उपलब्धता की सूचना एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर भी अंकित करवा दें।
- प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाये। प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- *जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।*
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा, जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0एस0के0 / 93–5 / 2023–24 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक--परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेषक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक–एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
10. महाप्रबधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. विधिक परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,उ0प्र0।
12. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
13. समस्त वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला परामर्शदाता मातृ स्वा0–एन0एच0एम0, उ0प्र0।
15. गार्ड फाईल।

(डॉ0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबन्धक,मातृस्वा0

Annexure - 1.4

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2024–25 / 1642-2 दिनांक 21/06.2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के संचालन हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2023–24 / 1445–2 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्रांक–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृस्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2023–24 / 4524–2 दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से समस्त जनपदों को दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित किये गये समस्त दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्न तालिकानुसार गतिविधिवार तथा संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है:–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फीम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित धनराशि
1	जनपद स्तरीय त्रैमासिक बैठक रू0 3000 की दर से	6.1	75 × 4 बैठक	9,00,000
2	निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने हेतु मोबिलिटी	6.2	600 पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु मोबिलिटी	6,00,000
3	जनपद स्तरीय I Pledge for 9 Achievers सम्मान समारोह समारोह हेतु रू0 40000 / – की दर से	6.3	75	30,00,000
4	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट सुनिश्चित कराने हेतु रू0 100 / – प्रति विजिट आशा को प्रोत्साहन धनराशि	6.5	2,25,000 एच0आर0पी0	6,75,00,000
5	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोपरान्त 45 दिनों तक माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल को सम्बन्धित ए0एन0एम0 / चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करने पर आशा को रू0 500 / – प्रसूता प्रोत्साहन धनराशि	6.6	2,25,000 एच0आर0पी0	11,25,00,000
6	प्रसवोपरान्त चिन्हित उच्च जोखिम युक्त धात्री महिला हेतु 03 अतिरिक्त पी0एन0सी0 विजिट सुनिश्चित कराने हेतु रू0 250 / – आशा को प्रोत्साहन धनराशि	6.7	4,50,000 एच0आर0पी0	11,25,00,000
7	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस / सन्दर्भित स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सक / स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जांच कराने हेतु लाभार्थी को धनराशि रू0 100 / – प्रति विजिट	6.8	2,25,000 एच0आर0पी0	6,75,00,000
	जनपदों को आवंटित की जाने वाली कुल धनराशि			36,45,00,000

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं के सूक्ष्म जलपान के लिए 10 माह हेतु रू0 2,000 / –प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से, राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एवं रू0 1,000 / – प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन मद में (एफ0एम0आर0 संख्या 4.9) धनराशि का आवंटन किया गया है।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु कुल रू0 36,45,00,000 / – (रूपये छत्तीस करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) की संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।

साथ ही अवगत कराना है कि व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा–निर्देशानुसार कार्यकम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें, आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,
(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0वाई0 / 8–9 / 2024–25 / तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
11. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यकम प्रबंधक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
15. विधि परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
16. गार्ड फाईल।

(डा0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबंधक, मातृ स्वा0

Pradhan Mantri Surakshit Matritwa Abhiyan, (PMSMA) DHAP sheet for year 2024-25												
		PMSMA Budget Sheet 2024-25										
		Target		6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8		
SL. No.	District	Expected HRP from Apr 2024 to March 2025	Expected PNC -HRP	District level meeting (Qtr Monthly) @ Rs.3000x4	Mobility for volunteer Doctor in rural areas	PMSMA 'I Pledge For 9'- Physical Awards	Incentive to ASHA for follow up visit @Rs.100/ per visit	Incentive to ASHA for follow up visit @Rs.500/ per visit after 45 days of Delivery	Incentive to ASHA for PNC HRP follow up visit @Rs.250/ per visit	Travel to pregenant Women for follow up visit @Rs.100/ per visit	Total PMSMA Budget for year 2024-25	
1	Agra	10000	12000	12000	8,000	40,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	14,060,000	
2	Aligarh	3000	9000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	2,250,000	900,000	5,610,000	
3	Ambedkar Nagar	2000	4000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,000,000	600,000	3,260,000	
4	Amethi	1000	3000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	750,000	300,000	1,910,000	
5	Auraiya	1000	2000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	500,000	300,000	1,660,000	
6	Azamgarh	3000	4000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,000,000	900,000	4,360,000	
7	Baghpat	1000	4000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,000,000	300,000	2,160,000	
8	Bahraich	2000	11000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	2,750,000	600,000	5,010,000	
9	Ballia	1000	5000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,250,000	300,000	2,410,000	
10	Balrampur	3000	10000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	2,500,000	900,000	5,860,000	
11	Banda	2000	4000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,000,000	600,000	3,260,000	
12	Barabanki	5000	6000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	7,060,000	
13	Bareilly	5000	9000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	2,250,000	1,500,000	7,810,000	
14	Basti	3000	5000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,250,000	900,000	4,610,000	
15	Bijnor	4000	9000	12000	8,000	40,000	1,200,000	2,000,000	2,250,000	1,200,000	6,710,000	
16	Budaun	5000	10000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	1,500,000	8,060,000	
17	Bulandshahar	5000	11000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	2,750,000	1,500,000	8,310,000	
18	Chandauli	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000	
19	Chitrakoot	1000	2000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	500,000	300,000	1,660,000	
20	Deoria	3000	7000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,750,000	900,000	5,110,000	
21	Etah	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000	
22	Etawah	2000	3000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	750,000	600,000	3,010,000	
23	Faizabad (AYODHYA)	3000	4000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,000,000	900,000	4,360,000	
24	Farukkhabad	2000	4000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,000,000	600,000	3,260,000	
25	Fatehpur	1000	6000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,500,000	300,000	2,660,000	
26	Firozabad	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000	
27	Gautam Buddha Nagar	3000	6000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,500,000	900,000	4,860,000	
28	Ghaziabad	4000	9000	12000	8,000	40,000	1,200,000	2,000,000	2,250,000	1,200,000	6,710,000	
29	Ghazipur	2000	8000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	2,000,000	600,000	4,260,000	
30	Gonda	2000	7000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,750,000	600,000	4,010,000	
31	Gorakhpur	2000	6000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,500,000	600,000	3,760,000	
32	Hamirpur	1000	2000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	500,000	300,000	1,660,000	

		PMSMA Budget Sheet 2024-25									
		Target		6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	
SL. No.	District	Expected HRP from Apr 2024 to March 2025	Expected PNC -HRP	District level meeting (Qtr Monthly) @ Rs.3000x4	Mobility for volunteer Doctor in rural areas	PMSMA 'I Pledge For 9'- Physical Awards	Incentive to ASHA for follow up visit @Rs.100/ per visit	Incentive to ASHA for follow up visit @Rs.500/ per visit after 45 days of Delivery	Incentive to ASHA for PNC HRP follow up visit @Rs.250/ per visit	Travel to pregenant Women for follow up visit @Rs.100/ per visit	Total PMSMA Budget for year 2024-25
33	Hapur	1000	4000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,000,000	300,000	2,160,000
34	Hardoi	4000	9000	12000	8,000	40,000	1,200,000	2,000,000	2,250,000	1,200,000	6,710,000
35	Hathras	3000	4000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,000,000	900,000	4,360,000
36	Jalaun	1000	3000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	750,000	300,000	1,910,000
37	Jaunpur	3000	7000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,750,000	900,000	5,110,000
38	Jhansi	2000	4000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,000,000	600,000	3,260,000
39	NAGAR,Amroha	2000	6000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,500,000	600,000	3,760,000
40	Kannauj	3000	4000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,000,000	900,000	4,360,000
41	Kanpur Dehat	1000	3000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	750,000	300,000	1,910,000
42	Kanpur Nagar	3000	6000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,500,000	900,000	4,860,000
43	Kasganj	1000	3000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	750,000	300,000	1,910,000
44	Kaushambi	2000	4000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,000,000	600,000	3,260,000
45	Kheri (Lakhimpur Kheri)	4000	8000	12000	8,000	40,000	1,200,000	2,000,000	2,000,000	1,200,000	6,460,000
46	Kushi Nagar	5000	8000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	7,560,000
47	Lalitpur	1000	3000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	750,000	300,000	1,910,000
48	Lucknow	12000	8000	12000	8,000	40,000	3,600,000	6,000,000	2,000,000	3,600,000	15,260,000
49	Maharajganj	5000	6000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	7,060,000
50	Mahoba	1000	2000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	500,000	300,000	1,660,000
51	Mainpuri	1000	4000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,000,000	300,000	2,160,000
52	Mathura	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000
53	MAU	1000	6000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,500,000	300,000	2,660,000
54	Meerut	10000	9000	12000	8,000	40,000	3,000,000	5,000,000	2,250,000	3,000,000	13,310,000
55	Mirzapur	2000	6000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,500,000	600,000	3,760,000
56	Moradabad	6000	8000	12000	8,000	40,000	1,800,000	3,000,000	2,000,000	1,800,000	8,660,000
57	Muzaffar Nagar	3000	7000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,750,000	900,000	5,110,000
58	Pilibhit	3000	6000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,500,000	900,000	4,860,000
59	Pratapgarh	1000	6000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,500,000	300,000	2,660,000
60	PRAYAGRAJ Allahabad	13000	11000	12000	8,000	40,000	3,900,000	6,500,000	2,750,000	3,900,000	17,110,000
61	Raebareli	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000
62	Rampur	1000	6000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,500,000	300,000	2,660,000
63	Saharanpur	3000	11000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	2,750,000	900,000	6,110,000
64	Sambhal	2000	6000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,500,000	600,000	3,760,000
65	Sant Kabir Nagar	3000	4000	12000	8,000	40,000	900,000	1,500,000	1,000,000	900,000	4,360,000

SL. No.	District	PMSMA Budget Sheet 2024-25									
		Target		6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	
		Expected HRP from Apr 2024 to March 2025	Expected PNC -HRP	District level meeting (Qtr Monthly) @ Rs.3000x4	Mobility for volunteer Doctor in rural areas	PMSMA 'I Pledge For 9'- Physical Awards	Incentive to ASHA for follow up visit @Rs.100/ per visit	Incentive to ASHA for follow up visit @Rs.500/ per visit after 45 days of Delivery	Incentive to ASHA for PNC HRP follow up visit @Rs.250/ per visit	Travel to pregenant Women for follow up visit @Rs.100/ per visit	Total PMSMA Budget for year 2024-25
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	1000	3000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	750,000	300,000	1,910,000
67	Shahjahanpur	1000	8000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	2,000,000	300,000	3,160,000
68	Shamali	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000
69	Shravasti	1000	4000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,000,000	300,000	2,160,000
70	Siddharth Nagar	5000	7000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	1,750,000	1,500,000	7,310,000
71	Sitapur	6000	12000	12000	8,000	40,000	1,800,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000	9,660,000
72	Sonbhadra	2000	5000	12000	8,000	40,000	600,000	1,000,000	1,250,000	600,000	3,510,000
73	Sultanpur	6000	4000	12000	8,000	40,000	1,800,000	3,000,000	1,000,000	1,800,000	7,660,000
74	Unnao	1000	6000	12000	8,000	40,000	300,000	500,000	1,500,000	300,000	2,660,000
75	Varanasi	5000	7000	12000	8,000	40,000	1,500,000	2,500,000	1,750,000	1,500,000	7,310,000
	Total District	225,000	450,000	900,000	600,000	3,000,000	67,500,000	112,500,000	112,500,000	67,500,000	364,500,000

Annexure -1.5

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एम0डी0आर0 / 54–डी0 / 2024–25 / 1538-2 दिनांकः 18.06.2024

विषय– वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) " कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम Maternal Death Surveillance and Response (MDSR)समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं राज्य स्तर पर) की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुये महत्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2018–20 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, जिसे सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक 70 से कम किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के कम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एम0डी0आर0 / 54 –डी0 / 2023–24 / 1440–2 दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वन हेतु यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपदों में MDSR कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था गतिविधिवार निम्नवत हैं–

➢ एम0डी0एस0आर0 कार्यकम कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 सम्बन्धी तालिका निम्नवत हैं–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फीम्स कोड	दर (रू0 में)	राज्य स्तर से निर्धारितलक्ष्य	जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1	कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यु–ब्लॉक दल को	9.1	600	9938	59,62,800
2	प्रिंटिग आफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट	9.5	30	10439	3,13,170
3.	जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठको हेतु (प्रत्येक माह में एक बार) रू0 1,500 / प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	9.3	1500	900	13,50,000
4	मण्डल स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठको हेतु रू0 10,000 / प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	9.4	10,000	72	7,20,000
5	सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत Primary informantहेतु रू0 1,000 / प्रति मातृ मृत्यु हेतु प्रोत्साहन धनराशि	9.2	1,000	2983	29,83,000
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				1,13,28,970

उपरोक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यकम के अन्तर्गत उक्त गतिविधियों हेतु रू0 1,13,28,970 / – (रू0 एक करोड़ तेरह लाख अठठाइस हजार नौ सौ सत्तर मात्र) की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार आवंटित की जा रही है।

➢ अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग –

- एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर निर्धारित फॉर्मेट एवं एस0ओ0पी0 के अनुसार होम एवं ट्रान्जिट में होने वाली समस्त मातृ मृत्यु की रिपोर्ट ब्लॉक स्तर के फार्मेट में **BHQ-M3 (Facility Code- 3.1.1,3.1.2)** पर एवं स्वास्थ्य इकाई स्तर होने वाली समस्त मातृ मृत्यु की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप के अनुसार एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु **DHQ-M3 (Facility Code- 3.1,3.2,3.3)** प्रारूप के अनुसार एच0एम0 आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

➢ वित्तीय व्यवस्था–

- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें. आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल) 14/06/24

मिशन निदेशक

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एम0डी0आर0 / 54–डी0 / 2024–25 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. वरिष्ठ परियोजना निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0।
7. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
11. वित्त नियंत्रक–एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
12. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. विधिक परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,उ0प्र0।
14. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
15. समस्त वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला परामर्शदाता मातृ स्वा0–एन0एच0एम0, उ0प्र0।
17. गार्ड फाईल।

(डा0 रवि प्रकाश दीक्षित)

महाप्रबन्धक मातृ स्वास्थ्य

MDSR:-DHAP FY 2024-25 under Maternal Death Surveillance and Response

SL. No.	District	Name of DHIS	Physical Target: Estimated Maternal FY-2024-25	Physical Target: Printing Format	Physical Target: Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	Budget: FAMS Code 9.1 CBMDR (Community Based Review)	Budget: FAMS Code 9.5 Printing of formats @RS.30/-	Budget: FAMS Code 9.2 Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	Budget: FAMS Code 9.3 District level MDR review meetings	Budget: FAMS Code 9.4 Divisional MDR reviews	Total Budget under MDSR FY-2024-25
1	Agra	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	206	216	62	123,600	6,480	62,000	18,000	40,000	250,080
2	Aligarh	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	191	201	57	111,600	6,030	57,000	18,000	40,000	235,630
3	Ambedkar Nagar	DHS, AMBEDKAR NAGAR, UP [N	115	121	35	69,000	3,630	35,000	18,000	-	125,630
4	Amethi	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	82	86	25	49,200	2,580	25,000	18,000	-	94,780
5	Auraiya	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	66	69	20	39,600	2,070	20,000	18,000	-	79,670
6	Azamgarh	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	220	231	66	132,000	6,930	66,000	18,000	40,000	262,930
7	Baghpat	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	57	60	17	34,200	1,800	17,000	18,000	-	71,000
8	Bahraich	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	222	233	67	133,200	6,990	67,000	18,000	-	225,190
9	Ballia	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	157	165	47	94,200	4,950	47,000	18,000	-	164,150
10	Balrampur	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUI	152	160	46	91,200	4,800	46,000	18,000	-	160,000
11	Banda	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	98	103	29	58,800	3,090	29,000	18,000	40,000	148,890
12	Barabanki	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	166	174	50	99,600	5,220	50,000	18,000	-	172,820
13	Bareilly	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	230	242	69	138,000	7,260	69,000	18,000	40,000	272,260
14	Basti	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	133	140	40	79,800	4,200	40,000	18,000	40,000	182,000
15	Bijnor	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	175	184	53	105,000	5,520	53,000	18,000	-	181,520
16	Budaun	DHS, Budaun [NHMUP]	190	200	57	114,000	6,000	57,000	18,000	-	195,000
17	Bulandshahar	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NH	181	190	54	108,600	5,700	54,000	18,000	-	186,300
18	Chandauli	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	102	107	31	61,200	3,210	31,000	18,000	-	113,410
19	Chitrakoot	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMU	49	51	15	29,400	1,530	15,000	18,000	-	63,930
20	Deoria	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	159	167	48	95,400	5,010	48,000	18,000	-	166,410
21	Etah	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	98	103	29	58,800	3,090	29,000	18,000	-	108,890
22	Etawah	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	71	75	21	42,600	2,250	21,000	18,000	-	83,850
23	Faizabad (AYODHYA)	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	120	126	36	72,000	3,780	36,000	18,000	40,000	169,780
24	Farukkhabad	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHM	98	103	29	58,800	3,090	29,000	18,000	-	108,890
25	Fatehpur	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	120	126	36	72,000	3,780	36,000	18,000	-	129,780
26	Firozabad	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	127	133	38	76,200	3,990	38,000	18,000	-	136,190
27	Gautam Buddha Nagar	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR	77	81	23	46,200	2,430	23,000	18,000	-	89,630
28	Ghaziabad	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	140	147	42	84,000	4,410	42,000	18,000	-	148,410
29	Ghazipur	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	170	179	51	102,000	5,370	51,000	18,000	-	176,370
30	Gonda	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	188	197	56	112,800	5,910	56,000	18,000	40,000	232,710
31	Gorakhpur	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUI	213	224	64	127,800	6,720	64,000	18,000	40,000	256,520
32	Hamirpur	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	52	55	16	31,200	1,650	16,000	18,000	-	66,850
33	Hapur	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	56	59	17	33,600	1,770	17,000	18,000	-	70,370
34	Hardoi	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	227	238	68	136,200	7,140	68,000	18,000	-	229,340
35	Hathras	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	73	77	22	43,800	2,310	22,000	18,000	-	86,110
36	Jalaun	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	76	80	23	45,600	2,400	23,000	18,000	-	89,000
37	Jaunpur	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	200	210	60	120,000	6,300	60,000	18,000	-	204,300
38	Jhansi	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	75	79	23	45,000	2,370	23,000	18,000	40,000	128,370
39	JYOTIBA PHULE NAGAR, Amroha	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR, U	95	100	29	57,000	3,000	29,000	18,000	-	107,000
40	Kannauj	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	77	81	23	46,200	2,430	23,000	18,000	-	89,630
41	Kanpur Dehat	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHM	71	75	21	42,600	2,250	21,000	18,000	-	83,850
42	Kanpur Nagar	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHM	157	165	47	94,200	4,950	47,000	18,000	40,000	204,150

Sl. No.	District	Name of D.H.S	Physical Target			Budget					
			Estimated Maternal FY-2024-25	Printing Format	Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	FAMS Code 9.1 CBMDR (Community Based Review)	FAMS Code 9.5 Printing of formats @RS.30/	FAMS Code 9.2 Incentives for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	FAMS Code 9.3 District level MDR review meetings	FAMS Code 9.4 Divisional MDR reviews	Total Budget under MDSR FY-2024-25
43	Kasganj	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	79	83	24	47,400	2,490	24,000	18,000	-	91,890
44	Kaushambi	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP	93	98	28	55,800	2,940	28,000	18,000	-	104,740
45	Kheri (Lakhimpur Kheri)	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [N	214	225	64	128,400	6,750	64,000	18,000	-	217,150
46	Kushi Nagar	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMU	208	218	62	124,800	6,540	62,000	18,000	-	211,340
47	Lalitpur	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	66	69	20	39,600	2,070	20,000	18,000	-	79,670
48	Lucknow	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	167	175	50	100,200	5,250	50,000	18,000	40,000	213,450
49	Maharajganj	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHM	149	156	45	89,400	4,680	45,000	18,000	-	157,080
50	Mahoba	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	43	45	13	25,800	1,350	13,000	18,000	-	58,150
51	Mainpuri	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	88	92	26	52,800	2,760	26,000	18,000	-	99,560
52	Mathura	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	114	120	34	68,400	3,600	34,000	18,000	-	124,000
53	MAU	DHS, MAU, UP [NHMUP]	94	99	28	56,400	2,970	28,000	18,000	-	105,370
54	Meerut	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	164	172	49	98,400	5,160	49,000	18,000	40,000	210,560
55	Mirzapur	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	111	117	33	66,600	3,510	33,000	18,000	40,000	161,110
56	Moradabad	DHS, MORADABAD, UP [NHMU	156	164	47	93,600	4,920	47,000	18,000	40,000	203,520
57	Muzaffar Nagar	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [N	130	137	39	78,000	4,110	39,000	18,000	-	139,110
58	Pilibhit	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	103	108	31	61,800	3,240	31,000	18,000	-	114,040
59	Pratapgarh	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMU	154	162	46	92,400	4,860	46,000	18,000	-	161,260
60	PRAYAGRAJ Allahabad	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	298	313	89	178,800	9,390	89,000	18,000	40,000	335,190
61	Raebareli	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	129	135	39	77,400	4,050	39,000	18,000	-	138,450
62	Rampur	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	116	122	35	69,600	3,660	35,000	18,000	-	126,260
63	Saharanpur	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMU	181	190	54	108,600	5,700	54,000	18,000	40,000	226,300
64	Sambhal	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	124	130	37	74,400	3,900	37,000	18,000	-	133,300
65	Sant Kabir Nagar	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP [N	104	109	31	62,400	3,270	31,000	18,000	-	114,670
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, U	77	81	23	46,200	2,430	23,000	18,000	-	89,630
67	Shahjahanpur	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NH	169	177	51	101,400	5,310	51,000	18,000	-	175,710
68	Shamali	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	64	67	19	38,400	2,010	19,000	18,000	-	77,410
69	Shravasti	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	89	93	27	53,400	2,790	27,000	18,000	-	101,190
70	Siddharth Nagar	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHM	191	201	57	114,600	6,030	57,000	18,000	-	195,630
71	Sitapur	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	250	263	75	150,000	7,890	75,000	18,000	-	250,890
72	Sonbhadra	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP	105	110	32	63,000	3,300	32,000	18,000	-	116,300
73	Sultanpur	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP	106	111	32	63,600	3,330	32,000	18,000	-	116,930
74	Unnao	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	130	137	39	78,000	4,110	39,000	18,000	-	139,110
75	Varanasi	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	140	147	42	84,000	4,410	42,000	18,000	40,000	188,410
	Total District		9,938	10,439	2,983	5,962,800	313,170	2,953,000	1,350,000	720,000	11,328,970

Sd/

B

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एम0डी0आर0 / 54–डी0 / 2023–24 / 1440 2 दिनांकः 22 05.2023

विषय–वित्तीय वर्ष 2023–24में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "Maternal Death Surveillance and Response (MDSR)" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं राज्य स्तर पर) की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुये महत्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2018–20 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, जिसे सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अर्न्तगत वर्ष 2030 तक 70 से कम किया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जनपदों में MDSR कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग–
   - आशा द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली 15–49 वर्ष के आयु की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द दूरभाष पर सम्बन्धित ए0एन0एम0 को 24 घण्टे के अन्दर तथा ए0एन0एम0 द्वारा प्रारूप–1 पर ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।
   - 15 से 49 वर्ष की समस्त महिलाओं की मृत्यु की सूचना प्रत्येक माह प्रारूप–2 पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुरक्षित की जायेगी।
   - समस्त संसूचित 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना में से मातृ मृत्यु समीक्षा के उपरान्त चिन्हित वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना प्रारूप–3 पर सुरक्षित की जायेंगी।
   - *जनपद में हुई समस्त मातृ मृत्यु की ब्लॉकवार लाइन लिस्ट की सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निर्धारित प्रारूप (Google sheet) पर अपडेट कराते हुये (एम0सी0पी0 कार्ड ,केसशीट समस्त अभिलेखों आदि की छाया प्रति) राज्य स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा हेतु भेजना सुनिश्चित करें ।*
   - मातृ मृत्यु की सूचना देना न्यायोचित है। कोई भी राजकीय अधिकारी / कर्मचारी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता तथा समुदाय का कोई भी व्यक्ति मातृ मृत्यु की सूचना दे सकता है। अतः मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी अधिकारी / कर्मचारी / सेवा प्रदाता को दण्डित न किया जाये।
   - किसी भी वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना जानबूझकर छिपाने वाली आशा के निष्कासन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रीय ए0एन0एम0 तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी ऐसी परिस्थिति में चेतावनी दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक दशा में प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से मासिक क्लस्टर मीटिंग के दौरान आशाओं को मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर देने की उपयोगिता तथा सूचना को छिपाने के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में भली भाति नियमित अवगत कराया जायेगा। इस योजना का जनपद / ब्लॉक स्तरीय बैठकों में वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2. सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (CBMDR)–

- प्रत्येक मातृ मृत्यु (संस्थागत/एम्बुलेन्स/घर इत्यादि) की सामुदयिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा अपेक्षित है। इस के लिये 03 सदस्यीय टीम बनायी जाये जिसके सदस्य चिकित्साधिकारी/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/एल0एच0वी0/क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आदि हो सकते है। यदि चिकित्सा अधिकारी इस दल के सदस्य होगें तो मृत्यु का कारण उनके द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम द्वारा की गयी वर्बल आटॉप्सी के आधार पर मृत्यु के कारणों को चिन्हित किया जायेगा। **यह सुनिश्चित किया जाये की टीम में एक महिला सदस्य अवश्य हो।**
- इस गतिविधि के फलस्वरूप मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्र–5 व 6 पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये। प्रत्येक माह मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रपत्र–3 (Template-3) पर अवश्य बनायें।
- प्रत्येक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये रू0 600/–की धनराशि (एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.1) प्राविधानित है। इस धनराशि का विभाजन दलों के 03 सदस्यों (चिकित्साधिकारी/एल0एच0वी0 अथवा क्षेत्र की ए0एन0एम0एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पररू0 200/–प्रति सदस्य देय होगा ।
- ब्लॉक नोडल मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक में एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगें एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समस्त ऑकडों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठकों में फैसेलिटी व फील्ड स्टाफ को जागरूक किया जायेगा।
- प्रत्येक मातृ मृत्यु की समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा (CBMDR) उस मातृ मृत्यु की सूचना के 15 दिनों के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

3. फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा(FBMDR) –

- प्रत्येक संस्थागत–मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाली मातृ मृत्यु की फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (MDSR) अपेक्षित है।
- **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सन्दर्भित हुयी गर्भवती महिलायें, जिनकी मृत्यु रास्ते में हुयी हो (In Transit) का FBMDR, सन्दर्भित करने वाली स्वास्थ्य इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
- इस हेतु प्राविधानित प्रारूप–4 व 6 को पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी मातृ मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष/प्रारूप–1 पर प्रभारी नोडल अधिकारी को देते हुये 24 घण्टे के भीतर फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित करेगें एवं सम्बन्धित केस शीट की छाया प्रति भविष्य में समीक्षा के लिये संलग्न करेंगे।
- फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा की एक प्रति इकाई पर सुरक्षित रखते हुये दूसरी प्रति जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु नोडल अधिकारी को उसी माह प्रेषित करेंगे।
- प्रत्येक माह होने वाली मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रारूप–3 (Template-3) (एम0डी0आर0 हेतु केस सारांश) पर अवश्य बनाये।
- फैसेलिटी नोडल मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य इकाई पर एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगें एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा फैसेलिटी पर उपलब्ध समस्त ऑकडों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठक में फैसेलिटी स्टाफ को संवेदित किया जायेगा।

4. प्रवासी (Migrant) मातृ मृत्यु–

अन्य जनपद / राज्य की मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में फैसेलिटी आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा उसी इकाई में की जायेगी, परन्तु समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये सम्बन्धित जनपदीय एवं राज्य नोडल को सूचित करते हुये समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। प्रवासी मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में मातृ मृत्यु का जनपद गर्भावस्था में अधिकांश समय व्यतीत करने वाला / मृत्यु का कारण प्रारम्भ होने वाला जनपद माना जायेगा एवं उसी जनपद में यह मातृ मृत्यु संगणित की जायेगी।

मातृ मृत्यु कारणों का वर्गीकरण –

M01- Pregnancies with abortive outcome (Maternal death: Direct)
M02- Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and puerperium (Maternal death: Direct)
M03- Obstetric hemorrhage (Maternal death: Direct)
M04- Pregnancy related infections (Maternal death: Direct)
M05- Other obstetric complications (Maternal death: Direct)
M06- Unanticipated complications of Management (Maternal death: Direct)
M07 - Non obstetric complications (Maternal death: Indirect)
M08- Unknown/ undetermined (Maternal death: unspecified)
M09- Co-incidental causes (Death during pregnancy, child birth and puerperium)

Annexure II provides a detailed enumeration of causes for each of the above categories which must be referred to while filling up the MDSR formats. All medical officers/faculties in the facility must be trained on MCCD, MDSR guidelines and use of FBMDSR form. (Annexure attached)

5. जनपद स्तर पर MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन–

- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार, मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला नोडल अधिकारी (MDSR) सुनिश्चित करेंगे। इसमें सभी मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग एवं मातृ मृत्यु (समुदाय आधारित एवं स्वास्थ्य इकाई आधारित) की समीक्षाओं का विस्तृत अनुश्रवण किया जाये। इस बैठक मे समस्त प्रारूप– 1 से 6 भी प्रस्तुत होंगे जिससे एकत्रित सूचनाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सके। इसी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले केसों का चयन किया जाये, जिनमें संवेदनशील कार्यवाही योग्य बिन्दु हों। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर उक्त आयोजित की गयी बैठक के कार्यवृत्त निर्धारित Template-2 के अनुसार ही बनाये जाये।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक 3 माह में एक बार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर MDSR कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाये। इस बैठक में मातृ मृत्यु के विभिन्न कारकों, देरियों और मृत्यु के स्थान में से कुछ चुने हुये केसों की समीक्षा रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाये। विशेषकर मातृ मृत्यु के सामाजिक कारणों जिन पर अन्य विभागों के सहयोग की आवश्यकता हो, को इस बैठक में प्रस्तुत किया जाये। क्षेत्रवार मातृ मृत्यु के क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण कर विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले कार्यवाही पर भी चर्चा की जाये एवं गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रगति भी प्रस्तुत की जाये। इस बैठक को डी0एच0एस0 के साथ अथवा जनपदीय एम0डी0आर0 रिव्यू बैठक के साथ ही किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
- इन बैठकों के कार्यवृत्त को मण्डल स्तर पर त्रैमासिक रिव्यू के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाये। प्रत्येक माह सभी मातृ मत्यु समीक्षा (MDSR) नवीन प्रारूप (New Template) 1, 2 व 3 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या बनाई जाये।
- ब्लॉक / जनपद / मण्डल स्तरीय बैठकों में सुझायी गयी रणनीतियों पर परिणामी कार्यवाही करें, जिससे क्षेत्र में सम्भावित मातृ मृत्यु में प्रभावी कमी लायी जा सके। इस विषय पर की कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- जनपद स्तरीय कुल 12 मासिक (प्रत्येक माह में एक बार) बैठकों के लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 में एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.3पररू0 1,500 /– प्रति बैठक के दर से कुल धनराशि रू0 13,50,000 /– (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र) प्राविधानित है।

6. मण्डल स्तर पर त्रैमासिक MDSRकार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन–

- मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करें। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यकम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियां के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
- बैठक में प्रत्येक जनपद में किये जा रहे रिव्यू की गुणवत्ता की जॉच करने हेतु भरे हुये प्रारूप 4, 5 एवं 6 के अनुसार मृत्यु के कारणों एवं प्रपत्रों की गुणवत्ता का विश्लेषण करें।
- इन बैठकों का अच्छा मीडिया कवरेज सुनिश्चित किया जाये। मीडिया के समक्ष मातृ मृत्यु कम करने सम्बन्धी जनपदों/मण्डल के प्रयासों को उजागर किया जाये। इस बैठक का कार्यवृत्त अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर भी प्रेषित किया जाये। इन बैठकों के कार्यवृत्त मातृ स्वास्थ्य अनुभाग एस0पी0एम0यू0 एवं एम0सी0एच0 अनुभाग परिवार कल्याण महानिदेशालय को क्रमशः gmmhup2019@gmail.com एवं mchjsy@gmail.com अवश्य प्रेषित किये जायें।
- मण्डल स्तरीय बैठक हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000/– की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल धनराशि रू0 7,20,000/–(रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.4 पर प्राविधानित है।

7. मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्र की वार्षिक छपाई–
मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु सभी जनपदों को रू0 30/– प्रति रिपोर्टिंग प्रपत्र के दर से कुल 13500 प्रपत्र हेतु कुल धनराशि रू0 3,08,100/–(रू0 तीन लाख आठ हजार एक सौ मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9.IEC.1 पर अनुमन्य है। इस धनराशि से सभी इकाईयां पर मातृ मत्यु समीक्षा नवीन प्रपत्र–1, 2, 3, 4, 5 व 6 की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। (समस्त प्रपत्र संलग्न)

8. **सुमन कार्यकम के अन्तर्गत मातृ मृत्यु की सूचना देने वाला प्रथम व्यक्ति (Primary Informant) हेतु प्रोत्साहन धनराशि–**

- सुमन कार्यकम के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) हेतु रू0 1,000/–प्रति मातृ मृत्यु की दर से कुल धनराशि रू0 35,91,000/–(रू0 पैंतीस लाख इक्यान्बे हजार मात्र) की प्रोत्साहन धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में स्वीकृत हुयी है।
- *"प्रथम सूचना प्रदाता के अन्तर्गत आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री, पंचायती राज विभाग का कोई भी व्यक्ति तथा सामुदाय से कोई भी व्यक्ति (स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मी को छोडकर) इस प्रोत्साहन धनराशि को प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे।"*
- प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) द्वारा सूचित मातृ मृत्यु की समीक्षा कर भुगतान 104 पोर्टल entry कराना सुनिश्चित किया जाये।

9. एम0डी0एस0आर0 कार्यकम कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 सम्बन्धी तालिका निम्नवत हैं–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	दर (रू0 में)	राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य	जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1.	कम्युनिटी बेस्ड मेटरनल डेथ रिव्यू–ब्लाक दल को	RCH.1.9 SRRE.1	600	9952	59,71,200
2.	प्रिन्टिग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फार्मेट	RCH.1.9.IEC.1	30	13500	4,05,000
3.	जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठको हेतु (प्रत्येक माह में एक बार)रू0 1,500/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	RCH.1.9 SRRE.3	1500	450	13,50,000
4.	मण्डल स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठको हेतु रू0 10,000/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	RCH.1.9 SRRE.4	10,000	72	7,20,000
5.	सुमन कार्यकम के अन्तर्गत Primary informantहेतु रू0 1,000/प्रति मातृ मृत्यु हेतु प्रोत्साहन धनराशि	RCH.1.9 SRRE.2	1,000	2989	29,89,000
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				1,14,35,200

52

- ब्लॉक स्तर दल को कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू हेतु दी जाने वाली धनराशि एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.1 में रू0 600/-प्रति रिव्यू की दर से कुल सम्भावित मातृ मृत्यु (9952) हेतु कुल धनराशि रू0 59,71,200/-(रूपये उनसठ लाख इकत्तर हजार दो सौ मात्र) संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार आवंटित की गयी है।
- प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट 13500 हेतु एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 IEC.1 में प्रति सम्भावित मातृ मृत्युओं के लिये रू0 30/-की दर से कुल धनराशि रू0 रू0 04,05,000/- (रूपये चार लाख पाँच हजार एक सौ मात्र) हेतु आंवटित की जा रही है।
- मण्डल स्तरीय त्रैमासिक मातृ मृत्यु कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000/-की दर से कुल 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल धनराशि रू0 7,20,000/-(रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.4 में एवं जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठकों हेतु (प्रत्येक माह में एक बार) के लिये एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.9 SRRE.3 में रू0 1,500/- प्रति बैठक की दर से कुल धनराशि रू0 13,50,000/- (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र) की दर से जनपदों को आंवटित की जा रही है।
- उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को कुल धनराशि रू0 1,14,35,200/-(रूपये एक करोड़ चौदहा लाख पैन्तीस हजार दो सौ मात्र) राज्य स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आंवटन की जा रही है।

10. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग -

- प्रत्येक माह मातृ मृत्यु की लाइन लिस्टिंग एवं समीक्षा की सूचना ई-मेल आई0डी0 gmmhup2019@gmail.com /mdsrup@gmail.com & mchjsy@gmail.com पर प्रेषित की जाये।
- एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाओ को एम0पी0सी0डी0एस0आर0/एच0एम0आई0एस0/आर0सी0 एच0 पोर्टल पर शतप्रतिशत अपलोड किया जाये। यह सूचना जनपद/ब्लॉक स्तर वेलिडेशन कमेटी के सत्यापन उपरांत ही पोर्टल पर अपलोड की जाये।
- जिला नांडल अधिकारी एम0डी0एस0आर0 मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पोर्टल में समस्त त्रुटि रहित सूचनाओं का अंकन तथा उसकी समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक जनपद मातृ मत्यु समीक्षा के पश्चात प्रत्येक त्रैमास 2-3 केस स्टडी का डॉक्यूमेन्टेशन कर मण्डल को प्रेषित करे। मण्डल स्तर पर संकलित इन केस स्टडीज की एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

विभिन्न स्तर पर नोडल अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व -

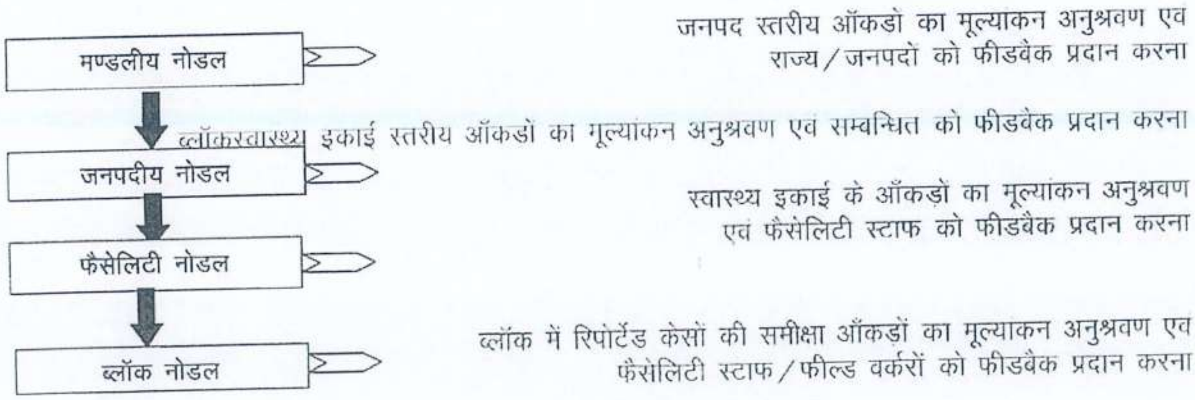

उपर्युक्त कम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि-

- किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।

- *जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों कोससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।*
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- कार्यकम/मद में आवंटित धनराशि का व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

तद्दिनांक।

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/एम0डी0आर0/54–डी0/2023–24/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. वित्त नियंत्रक–एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस आषय से प्रेषित कि डैप के अनुसार जनपदों को वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु।
10. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
11. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. विधिक परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14. समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला परामर्शदाता मातृ स्वा0--एन0एच0एम0, उ0प्र0।
16. गार्ड फाईल।

(डॉ0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

MDSR:-Maternal Death Surveillance and Response DHAP sheet for year 2023-24

SL.No.	District	DHS	Physical Target: Expected Maternal Death	Physical Target: Printing Format	Physical Target: Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	F.Y. 2023-24 Budget: Rop Code RCH.1.9 SRRE.1 CBMDR (Community Based Review)	Rop Code RCH.1.9 IEC.1 Printing of formats @RS.30/	Rop Code RCH.1.9 SRRE.2 Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	Rop Code RCH.1.9 SRRE.3 District level MDR review meetings	Rop Code RCH.1.9 SRRE.4 Divisional MDR reviews	Total MDR Budget for year 2023-24 for the districts
1	Agra	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	207	290	62	124,200	8,700	62,000	18,000	40,000	252,900
2	Aligarh	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	191	250	57	114,600	7,500	57,000	18,000	40,000	237,100
3	Ambedkar	DHS, AMBEDKAR NAGAR, UP [NH	115	160	35	69,000	4,800	35,000	18,000	-	126,800
4	Amethi	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	82	130	25	49,200	3,900	25,000	18,000	-	96,100
5	Auraiya	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	66	90	20	39,600	2,700	20,000	18,000	-	80,300
6	Azamgarh	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	221	310	66	132,600	9,300	66,000	18,000	40,000	265,900
7	Baghpat	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	58	90	17	34,800	2,700	17,000	18,000	-	72,500
8	Bahraich	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	223	230	67	133,800	6,900	67,000	18,000	-	225,700
9	Ballia	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	157	220	47	94,200	6,600	47,000	18,000	-	165,800
10	Balrampur	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	152	150	46	91,200	4,500	46,000	18,000	-	159,700
11	Banda	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	99	120	30	59,400	3,600	30,000	18,000	40,000	151,000
12	Barabanki	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	166	220	50	99,600	6,600	50,000	18,000	-	174,200
13	Bareilly	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	230	300	69	138,000	9,000	69,000	18,000	40,000	274,000
14	Basti	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	133	170	40	79,800	5,100	40,000	18,000	40,000	182,900
15	Bijnor	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	175	250	53	105,000	7,500	53,000	18,000	-	183,500
16	Budaun	DHS, Budaun [NHMUP]	191	210	57	114,600	6,300	57,000	18,000	-	195,900
17	Bulandshaha	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHM	182	230	55	109,200	6,900	55,000	18,000	-	189,100
18	Chandauli	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	102	130	31	61,200	3,900	31,000	18,000	-	114,100
19	Chitrakoot	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	49	70	15	29,400	2,100	15,000	18,000	-	64,500
20	Deoria	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	159	210	48	95,400	6,300	48,000	18,000	-	167,700
21	Etah	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	98	120	29	58,800	3,600	29,000	18,000	-	109,400
22	Etawah	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	71	110	21	42,600	3,300	21,000	18,000	-	84,900
23	Faizabad	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	120	170	36	72,000	5,100	36,000	18,000	40,000	171,100
24	Farukkhabad	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMU	98	130	29	58,800	3,900	29,000	18,000	-	109,700
25	Fatehpur	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	120	180	36	72,000	5,400	36,000	18,000	-	131,400
26	Firozabad	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	127	170	38	76,200	5,100	38,000	18,000	-	137,300
27	Gautam	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR, U	77	110	23	46,200	3,300	23,000	18,000	-	90,500
28	Ghaziabad	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	140	220	42	84,000	6,600	42,000	18,000	-	150,600
29	Ghazipur	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	170	240	51	102,000	7,200	51,000	18,000	-	178,200
30	Gonda	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	188	230	56	112,800	6,900	56,000	18,000	40,000	233,700
31	Gorakhpur	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	213	300	64	127,800	9,000	64,000	18,000	40,000	258,800
32	Hamirpur	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	52	70	16	31,200	2,100	16,000	18,000	-	67,300
33	Hapur	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	56	90	17	33,600	2,700	17,000	18,000	-	71,300
34	Hardoi	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	227	270	68	136,200	8,100	68,000	18,000	-	230,300
35	Hathras	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	73	110	22	43,800	3,300	22,000	18,000	-	87,100
36	Jalaun	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	76	120	23	45,600	3,600	23,000	18,000	-	90,200
37	Jaunpur	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	200	300	60	120,000	9,000	60,000	18,000	-	207,000
38	Jhansi	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	75	140	23	45,000	4,200	23,000	18,000	40,000	130,200
39	JYOTIBA	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR, UP	96	130	29	57,600	3,900	29,000	18,000	-	108,500
40	Kannauj	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	77	110	23	46,200	3,300	23,000	18,000	-	90,500
41	Kanpur	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMU	71	120	21	42,600	3,600	21,000	18,000	-	85,200
42	Kanpur	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMU	157	310	47	94,200	9,300	47,000	18,000	40,000	208,500
43	Kasganj	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	79	100	24	47,400	3,000	24,000	18,000	-	92,400
44	Kaushambi	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	93	110	28	55,800	3,300	28,000	18,000	-	105,100
45	Kheri	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	215	270	65	129,000	8,100	65,000	18,000	-	220,100
46	Kushi Nagar	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	209	240	63	125,400	7,200	63,000	18,000	-	213,600
47	Lalitpur	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	66	80	20	39,600	2,400	20,000	18,000	-	80,000
48	Lucknow	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	167	310	50	100,200	9,300	50,000	18,000	40,000	217,500
49	Maharajganj	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMU	150	180	45	90,000	5,400	45,000	18,000	-	158,400
50	Mahoba	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	43	60	13	25,800	1,800	13,000	18,000	-	58,600
51	Mainpuri	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	88	130	26	52,800	3,900	26,000	18,000	-	100,700
52	Mathura	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	114	170	34	68,400	5,100	34,000	18,000	-	125,500
53	MAU	DHS, MAU, UP [NHMUP]	94	150	28	56,400	4,500	28,000	18,000	-	106,900
54	Meerut	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	164	230	49	98,400	6,900	49,000	18,000	40,000	212,300
55	Mirzapur	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	111	170	33	66,600	5,100	33,000	18,000	40,000	162,700
56	Moradabad	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	156	210	47	93,600	6,300	47,000	18,000	40,000	204,900
57	Muzaffar	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	130	190	39	78,000	5,700	39,000	18,000	-	140,700
58	Pilibhit	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	103	140	31	61,800	4,200	31,000	18,000	-	115,000
59	Pratapgarh	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	154	220	46	92,400	6,600	46,000	18,000	-	163,000
60	PRAYAGRAJ	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	299	400	90	179,400	12,000	90,000	18,000	40,000	339,400
61	Raebareli	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	129	200	39	77,400	6,000	39,000	18,000	-	140,400
62	Rampur	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	116	160	35	69,600	4,800	35,000	18,000	-	127,400
63	Saharanpur	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP	181	230	54	108,600	6,900	54,000	18,000	40,000	227,500
64	Sambhal	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	124	150	37	74,400	4,500	37,000	18,000	-	133,900
65	Sant Kabir	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP [NH	104	120	31	62,400	3,600	31,000	18,000	-	115,000

SL.NO	District	DHS	Physical Target			F.Y.2023-24 Budget					
						Rop Code RCH.1.9 SRRE.1	Rop Code RCH.1.9 IEC.1	Rop Code RCH.1.9 SRRE.2	Rop Code RCH.1.9 SRRE.3	Rop Code RCH.1.9 SRRE.4	Total MDR Budget for year 2023-24 for the districts
			Expected Maternal Death	Printing Format	Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	CBMDR (Community Based Review)	Printing of formats @RS.30/	Incentive for 1st responder for Maternal Deaths (Under Suman)	District level MDR review meetings	Divisional MDR reviews	
66	Sant Ravidas	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	77	110	23	46,200	3,300	23,000	18,000	-	90,500
67	Shahjahanpu	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHM	169	200	51	101,400	6,000	51,000	18,000	-	176,400
68	Shamali	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	64	90	19	38,400	2,700	19,000	18,000	-	78,100
69	Shravasti	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	89	80	27	53,400	2,400	27,000	18,000	-	100,800
70	Siddharth	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMU	192	170	58	115,200	5,100	58,000	18,000	-	196,300
71	Sitapur	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	251	300	75	150,600	9,000	75,000	18,000	-	252,600
72	Sonbhadra	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	105	130	32	63,000	3,900	32,000	18,000	-	116,900
73	Sultanpur	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	106	160	32	63,600	4,800	32,000	18,000	-	118,400
74	Unnao	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	130	210	39	78,000	6,300	39,000	18,000	-	141,300
75	Varanasi	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	140	250	42	84,000	7,500	42,000	18,000	40,000	191,500
Total District			9,952	13,500	2,989	5,971,200	405,000	2,989,000	1,350,000	720,000	11,435,200

Annexure-1·6

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / प्रिन्टिगं / 155 / 2024–25 / 1674-2 दिनांक 24.06.2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / प्रिन्टिंग / 155 / 2023–24 / 1442–2 दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से समस्त जनपदों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी यथावत लागू रहेंगे। मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट का मुद्रण जनपद स्तर पर किया जाना है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार ससमय मुद्रण कराते हुए मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड गर्भवती महिलाओं को वितरित करने हेतु तथा सभी प्रसव केन्द्रों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर केसशीट उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाये।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है–

क्र0 सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फेम्स कोड	लक्ष्य	जनपदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1	मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) का मुद्रण रू0 17 प्रति कार्ड की दर से	2.3	66,94,603	11,38,08,251
2	केसशीट का मुद्रण औसतन रू0 10 प्रति केसशीट की दर से	14.1	28,00,000	2,80,00,000
कुल धनराशि				14,18,08,251

वित्तीय व्यवस्था –

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण हेतु रू0 17 / – (प्रति एम0सी0पी0 कार्ड की दर से) 66,94,603 एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण के लिये रू0 11,38,08,251 / – (रू0 ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख आठ हजार दो सौ इक्यावन मात्र) की धनराशि जनपदों को संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार आवंटित की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये केसशीट के मुद्रण हेतु औसतन रू0 10 / – (प्रति केसशीट की दर से) 28,00,000 केसशीट के मुद्रण हेतु रू0 2,80,00,000 / – (रू0 दो करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि जनपदों को संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार आवंटित की जा रही है।
- एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट का मुद्रण नियमानुसार, मानकानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखावहियाँ, विल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मानकानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाये।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें, आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल) 21/06/24

मिशन निदेशक

पत्रसंख्या --एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / प्रिन्टिगं / 155 / 2024-25 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला / संयुक्त चिकि0, उ0प्र0।
8. वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
10. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. समस्त वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
12. वरिष्ठ परियोजना निदेशक, य0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रवन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रवंधक,जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रवंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
15. विधि परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेशित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
16. गार्ड फाईल।

(डा0 रवि प्रकाश दीक्षित)

महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Annexure-1

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / प्रिन्टिगं / 155 / 2023–24 / 1442-2 दिनांक 22 .05.2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0)कार्ड एवं केसशीटके मुद्रण हेतु धनराशिके आवंटन सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं केअन्तर्गत सुचारू रूप से सेवायें प्रदान करने हेतु मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0)कार्ड तथा केसशीट का मुद्रण जनपद स्तर पर किया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार ससमय मुद्रण कराते हुए मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0)कार्ड गर्भवती महिलाओं को वितरित करने हेतुतथा केसशीट सभी प्रसव केन्द्रों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2023–24में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था की गयी है–

क्र0सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 / एफ0ए0एम0एस0कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (रू0 में)
1	मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) का मुद्रण	RCH.1.2.IEC	67,06,324 कार्ड का मुद्रण	11,40,07,508
2	केसशीट का मुद्रण	RCH.1.14.IEC	27,90,000 केसशीट का मुद्रण	2,79,00,000
	कुल योग			14,19,07,508

मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड हेतु स्पेसिफिकेशन–

भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं0T-13011/ 38/2011-CC and V(Part-1) dated 08.05.2018 के कम में 40 पेज के मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड को मुद्रण कराते हुये उपयोग में लाया जाना है, जिसका स्पेसीफिकेशन निम्नवत है–

कार्ड का साइज	4 इंच चौडा X 11.25 इंच लम्बा।
कागज की गुणवत्ता	150 जी0एस0एम0 माइकोन सिंथेटिक पेपर, नॉनटियरेबिल, स्मजप्रूफ पेपर, जिसपर किसी भी प्रकार के पेन से लिखा जा सके।
पृष्ठों की संख्या	40 (छपाई दोनो तरफ)–20 लीफलेट (कवर एवं बैक पेज सहित)। केवल हिन्दी में।
रंग / डिजाइन	चार रंग प्रिंटिग / विभागीय नमूने के अनुसार बहुरंगीय।
बाइडिंग	पृष्ठों की सेन्टर स्टिच / तीन स्थानों पर स्टेपलिंग किया हुआ
परफोरेटेड लाइन से पृथक होने की व्यवस्था	अन्तिम 2 पृष्ठ (काउन्टर फाइल) के लिये।
पैकेजिंग	चिन्हित कार्टून बॉक्स में उपलब्ध करायें।

एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1 प्रसव इकाई केसशीट हेतु स्पेसिफिकेशन–

पृष्ठ साइज	ए–4 शीट पर
कागज	80GSM
कलर	सफेद कागज पर
डिजाइन	संलग्न प्रसव इकाईवार (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) रंगीन प्रोटोटाइप के अनुसार मुद्रण

एम0सी0पी0कार्ड एवं केसशीट के उपयोग हेतु निर्देश –

- एक ही एम0सी0पी0 कार्ड का उपयोग माँ व बच्चे दोनों के लिये किया जाना है। एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भावस्था के पंजीकरण से प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात एवं बच्चे की 05 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाने वाली सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं एवं जानकारियो के अंकन का प्राविधान किया गया है। अतः गर्भवती महिला के प्रथम पंजीकरण के दौरान ही

प्रारम्भिक सूचनायें अंकित करते हुये, उन्हें निःशुल्क मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाये। परिवार के सदस्यों को इन सूचनाओं के विषय में जानकारी भी दें।

- एम0सी0पी0 कार्ड मे गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवायें जैसे–जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध है। क्षेत्रीय ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस जानकारी को लाभार्थी तक पहुँचाने हेतु उत्तरदायी होंगे। जिला स्तरीय चिकित्सालय/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्वास्थ्य इकाईयों पर सीधे पहुँचने वाली गर्भवती महिला का पंजीकरण उसी स्वास्थ्य इकाई पर एम0सी0पी0 कार्ड भरते हुये किया जाना है। *समस्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को आगामी (ए0एन0सी0/प्रसव/प्रसव पश्चात जांच/शिशु के टीकाकरण हेतु) भ्रमण में एम0सी0पी0 कार्ड साथ लाने हेतु प्रेरित किया जाना अपेक्षित है।*
- डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के अनुसार राजकीय लाभ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक गर्भवती महिला के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता, आर0सी0एच0 नं0 एवं मोबाइल नं0 की अनिवार्यता है। अतः गर्भवती महिला के द्वितीय ए0एन0सी0 के दौरान उनके एम0सी0पी0 कार्ड पर टीकाकरण, ए0एन0सी0 जाच, औषधि वितरण तथा अन्य आवश्यक पृविष्टियों का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- जिन महिलाओं के पास पंजीकरण के समय आधार कार्ड संख्या या बैंक खाता न हो उन्हें आगामी माह के छायायू0एच0एन0डी0/वी0एच0एस0एन0डीएवंपी0एम0एस0एम0ए0सत्र तक यह नम्बर प्राप्त कर आर0सी0एच0 नं0 के साथ ही एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित करवाने के लिये आशाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आशा/ए0एन0एम0 को निर्देश दें कि प्रत्येक स्थिति में प्रसव के पूर्व सभी गर्भवती महिलाओं के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए, जिसके लिये ग्राम प्रधानों से भी सहयोग प्राप्त करें।
- प्रत्येक एम0सी0पी0 कार्ड पर ससमय मातृ एवं शिशु आर0सी0एच0 नम्बर अंकित किया जाये। सभी प्रसव पूर्व जॉचों का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित किया जाना है। प्रसव जॉचों में हीमोग्लोबिन, यूरिन एल्बुमिन एण्ड शुगर, ब्लड शुगर ओ0जी0टी0टी प्रथम एव द्वितीय विजिट (24 से 28 सप्ताह) के अन्दर करा कर, एच0आई0वी0, सिफलिस एवं अल्ट्रासाउण्ड की जांच तथा वैकल्पिक जाचों में थायराइड उत्तेजक हार्मोन, HbsAg आदि एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित की जानी है। आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेंडाजोल की मात्रा एव दिनांक का अंकन भी किया जाना आवश्यक है। *जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के कार्ड पर एच0आर0पी0 मुहर लगाकर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।*
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में DIO/ACMO-RCH द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों तथा ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर भी सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) के लक्ष्य के अनुसार की जानी है। स्वास्थ्य इकाइयों पर एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिला व गर्भावस्था के प्रारम्भ से लेकर प्रसव पश्चात् बच्चे की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाये।
- समस्त ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें कि छाया ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर प्रत्येक ए0एन0एम0 द्वारा न्यूनतम 05 एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केसशीट की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुनिश्चित की जाये।
- यहाँ पर यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व पर्यवेक्षण में पाया गया है कि जनपदों पर प्रसव इकाइयों द्वारा केसशीट एवं ए0एन0एम0 द्वारा एम0सी0पी0कार्ड पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों द्वारा इन केसशीट/एम0सी0पी0कार्ड को पूर्ण रूप से भरा जाये। जनपद व ब्लॉक स्तर पर समय-समय पर इस हेतु समीक्षा की जाये।
- जनपद/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के समय केसशीट/एम0सी0पी0कार्ड की उपलब्धता एव उस पर अंकित की जाने वाली वांछित सूचना की पूर्णता का अपने स्तर से परीक्षण अवश्य सुनिश्चित करें।

वित्तीय व्यवस्था –

- प्रदेश में कुल सम्भावित 67,06,324गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के समय एम0सी0पी0 कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण हेतु रू0 17/– प्रति एम0सी0पी0 कार्ड की दर से कुल 67,06,324 एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण के लिये एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम0एस0 कोड RCH.1.2.IEC में रू0 11,40,07,508/– (रू0 ग्यारह करोड चालीस लाख सात हजार पांच सौ आठ मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है (जनपदवार फांट संलग्न)।
- वित्तीय वर्ष 2023–24के लिये समस्त प्रसव इकाइयों (एल0–3, एल0–2 एव एल0–1) पर कुल 27,90,000 प्रसव हेतु केसशीट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु औसतन रू0 10/– प्रति केसशीट की दर से एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम0एस0 कोड RCH.1.14.IEC में रू0 2,79,00,000/– (रू0 दो करोड उन्यासी लाख मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही हैं (जनपदवार फांट संलग्न)।
- भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2022–23 में निर्देशित किया गया है कि–"State should follow competitive bidding process/government press may be used for printing of MCP cards." उक्त के दृष्टिगत एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट का मुद्रण नियमानुसार, मानकानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसारकिया जाना है।
- एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट की प्रिंटिंग उपरोक्त दिये गये प्रोटोटाइप के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ACMO-RCH/Nodal Officer पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- एम0सी0पी0 कार्ड के डिजाईन की प्रूफ रिडिंग(संलग्न एम0सी0पी0 कार्ड प्रपत्र के अनुसार), मात्रा एवं स्टाक का सत्यापन जनपद के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से कराया जाना अनिवार्य है।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखे एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Aparna U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या –एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/प्रिन्टिगं/155/2023–24/ तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
9. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
10. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एन0एच0एम0 को UPNHM वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. विधिक परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
12. समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला परामर्शदाता मातृ स्वा0–एन0एच0एम0, उ0प्र0।
14. गार्ड फाईल।

(डा0 रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Annexure-2

SL.No.	District	Expected ANC	Expected Institutional Deliveries (Case Sheet)	Budget for printing of MCP Card	Budget for Printing of case sheets to be used at at L1,L2,L3
1	Agra	1,38,935	56,000	23,61,895	5,60,000
2	Aligarh	1,28,349	59,000	21,81,933	5,90,000
3	Ambedkar Nagar	77,327	26,000	13,14,559	2,60,000
4	Amethi	55,461	31,000	9,42,837	3,10,000
5	Auraiya	44,302	22,000	7,53,134	2,20,000
6	Azamgarh	1,48,790	59,000	25,29,430	5,90,000
7	Baghpat	38,694	17,000	6,57,798	1,70,000
8	Bahraich	1,49,963	78,000	25,49,371	7,80,000
9	Ballia	1,05,782	42,000	17,98,294	4,20,000
10	Balrampur	1,02,203	42,000	17,37,451	4,20,000
11	Banda	66,248	42,000	11,26,216	4,20,000
12	Barabanki	1,11,723	51,000	18,99,291	5,10,000
13	Bareilly	1,54,807	43,000	26,31,719	4,30,000
14	Basti	89,408	36,000	15,19,936	3,60,000
15	Bijnor	1,17,771	25,000	20,02,107	2,50,000
16	Budaun	1,28,176	60,000	21,78,992	6,00,000
17	Bulandshahar	1,22,245	41,000	20,78,165	4,10,000
18	Chandauli	68,483	32,000	11,64,211	3,20,000
19	Chitrakoot	32,781	25,000	5,57,277	2,50,000
20	Deoria	1,07,083	43,000	18,20,411	4,30,000
21	Etah	65,807	25,000	11,18,719	2,50,000
22	Etawah	48,035	30,000	8,16,595	3,00,000
23	Faizabad (AYODHYA)	80,681	34,000	13,71,577	3,40,000
24	Farukkhabad	65,860	28,000	11,19,620	2,80,000
25	Fatehpur	81,009	42,000	13,77,153	4,20,000
26	Firozabad	85,260	36,000	14,49,420	3,60,000
27	Gautam Buddha Nagar	51,820	25,000	8,80,940	2,50,000
28	Ghaziabad	94,339	22,000	16,03,763	2,20,000
29	Ghazipur	1,14,314	48,000	19,43,338	4,80,000
30	Gonda	1,26,425	49,000	21,49,225	4,90,000
31	Gorakhpur	1,43,210	55,000	24,34,570	5,50,000
32	Hamirpur	34,721	24,000	5,90,257	2,40,000
33	Hapur	37,763	14,000	6,41,971	1,40,000
34	Hardoi	1,52,884	60,000	25,99,028	6,00,000
35	Hathras	49,408	26,000	8,39,936	2,60,000
36	Jalaun	51,092	25,000	8,68,564	2,50,000
37	Jaunpur	1,34,663	46,000	22,89,271	4,60,000
38	Jhansi	50,755	27,000	8,62,835	2,70,000
39	JYOTIBA PHULE NAGAR,Amroha	64,289	18,000	10,92,913	1,80,000
40	Kannauj	51,864	29,000	8,81,688	2,90,000
41	Kanpur Dehat	47,545	26,000	8,08,265	2,60,000
42	Kanpur Nagar	1,05,878	41,000	17,99,926	4,10,000
43	Kasganj	53,281	26,000	9,05,777	2,60,000
44	Kaushambi	62,760	35,000	10,66,920	3,50,000
45	Kheri (Lakhimpur Kheri)	1,44,266	67,000	24,52,522	6,70,000
46	Kushi Nagar	1,40,334	50,000	23,85,678	5,00,000
47	Lalitpur	44,154	28,000	7,50,618	2,80,000
48	Lucknow	1,12,243	57,000	19,08,131	5,70,000
49	Maharajganj	1,00,645	39,000	17,10,965	3,90,000
50	Mahoba	28,836	20,000	4,90,212	2,00,000
51	Mainpuri	59,001	27,000	10,03,017	2,70,000
52	Mathura	76,666	31,000	13,03,322	3,10,000
53	MAU	63,431	29,000	10,78,327	2,90,000
54	Meerut	1,10,589	29,000	18,80,013	2,90,000
55	Mirzapur	74,819	45,000	12,71,923	4,50,000
56	Moradabad	1,05,043	21,000	17,85,731	2,10,000
57	Muzaffar Nagar	87,629	34,000	14,89,693	3,40,000
58	Pilibhit	69,589	27,000	11,83,013	2,70,000
59	Pratapgarh	1,03,488	41,000	17,59,296	4,10,000
60	PRAYAGRAJ Allahabad	2,00,818	71,000	34,13,906	7,10,000
61	Raebareli	86,610	45,000	14,72,370	4,50,000
62	Rampur	78,150	21,000	13,28,550	2,10,000
63	Saharanpur	1,22,031	37,000	20,74,527	3,70,000

SL.No.	District	Expected ANC	Expected Institutional Deliveries (Case Sheet)	Budget for printing of MCP Card	Budget for Printing of case sheets to be used at at L1,L2,L3
64	Sambhal	83,376	32,000	14,17,392	3,20,000
65	Sant Kabir Nagar	70,061	29,000	11,91,037	2,90,000
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	51,742	20,000	8,79,614	2,00,000
67	Shahjahanpur	1,13,922	45,000	19,36,674	4,50,000
68	Shamali	43,207	22,000	7,34,519	2,20,000
69	Shravasti	59,904	36,000	10,18,368	3,60,000
70	Siddharth Nagar	1,28,957	37,000	21,92,269	3,70,000
71	Sitapur	1,68,700	84,000	28,67,900	8,40,000
72	Sonbhadra	70,575	35,000	11,99,775	3,50,000
73	Sultanpur	71,550	36,000	12,16,350	3,60,000
74	Unnao	87,710	39,000	14,91,070	3,90,000
75	Varanasi	94,363	45,000	16,04,171	4,50,000
	Total District	**66,94,603**	**28,00,000**	**11,38,08,251**	**2,80,00,000**